## अध्याय – I
## प्रारंभिक

**1. लघु शीर्षक और प्रारंभ**

(a) इन निदेशों को - भारतीय रिज़र्व बैंक आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश-2021 कहा जाएगा।

(b) ये निदेश उस दिन लागू होंगे जब इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड गया है।

## अध्याय – II
## प्रयोज्यता

**2.**a) इन निदेशों के प्रावधान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), भुगतान बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी), राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) पर, जब तक इसके विपरीत नहीं कहा जाता, इनपर लागू होंगे ।

b) सीआरआर के रखरखाव की सूचना निम्नलिखित सांविधिक रिटर्न के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाए-:

i) **फार्म ए -** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित), लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए विवरण भेजने हेतु

ii) **फॉर्म बी**- अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए विवरण भेजने हेतु

iii) **फॉर्म** I **-** बैंककारी विनियमन अधिनियम**,** 1949 की धारा 18 के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए विवरण भेजने हेतु

c**)** एसएलआर के रखरखाव की सूचना निम्नलिखित सांविधिक रिटर्न के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाएगी:

i) **फॉर्म VIII-** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए विवरण (एसएलआर के लिए) भेजने हेतु;

ii) **फॉर्म** I - बैंककारी विनियमन अधिनियम**,** 1949 की धारा 24 के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत सभी सहकारी बैंकों के लिए विवरण (एसएलआर के लिए) भेजने हेतु।

## अध्याय -III
## परिभाषाएँ

**3. परिभाषाएँ**

**a) इन निदेश के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्दों का निम्न अभिप्राय होगा :-**

i)'कुल जमा' का अर्थ है मांग और मियादी जमाओं का योग

ii) बचत बैंक खाते को मांग देयता और मियादी देयता में प्रभाजन - बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार बचत बैंक खाते को मांग देयता और मियादी देयता में प्रभाजन का कार्य करेगा।

a) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को कारोबार की समाप्ति की स्थिति के आधार पर (आरबीआई परिपत्र डीबीओडी.सं.बीसी.142/09.16.001/97-98, दिनांक 19 नवंबर, 1997 का संदर्भ ग्रहण करें) अपनी बचत बैंक जमाओं के संबंध में मांग देयताओं और मियादी देयताओं के अनुपात-गणना की वर्तमान व्यवस्था, दैनिक उत्पाद के आधार पर बचत बैंक जमा पर ब्याज की गणना के लिए नई प्रणाली में जारी रहेगा;

b) छमाही अवधि के दौरान प्रत्येक महीने में बनाए रखे गए न्यूनतम शेष राशि (प्रत्येक खाते में ) का औसत बैंक द्वारा बचत बैंक जमाओं के "मियादी देयता" का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि के रूप में माना जाएगा। जब ऐसी राशि आधे वर्ष की अवधि के दौरान बनाए रखे गए वास्तविक शेष राशि के औसत से घटा ली जाती है, तो बची राशि "मांग देयता" भाग का प्रतिनिधित्व करेगा।

c) प्रत्येक छमाही के लिए प्राप्त मांग और मियादी देयताओं के अनुपात को अगले आधे वर्ष के दौरान सभी रिपोर्टिंग पखवाड़े के लिए बचत बैंक जमा की मांग और मियादी देयता घटकों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

iii) अनुमोदित प्रतिभूतियां[1]/एसएलआर प्रतिभूतियां: निम्नलिखित प्रतिभूतियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में माना जाएगा:

(1) बाजार उधारी कार्यक्रम और बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां ;

(2) भारत सरकार का खजाना बिल; और

(3) बाजार उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत समय-समय पर जारी राज्य सरकारों के राज्य विकास ऋण (एसडीएल)।

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित (जब कभी भी निर्धारित किया जाए) किया गया अन्य कोई लिखत।

व्याख्या:

(i) फॉर्म ए रिटर्न और इसके अनुलग्नकों के लिए, बैंकों को अपने निवेश पुस्तिका के आधार पर अर्थात भारग्रस्त प्रतिभूतियों सहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में कुल निवेश का विवरण देना चाहिए ।

(ii) एसएलआर उद्देश्य के लिए, अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का केवल भाररहित हिस्सा निर्दिष्ट एसएलआर आस्तियों की अर्हता प्राप्त करने योग्य होगा। हालांकि, निम्नलिखित एसएलआर प्रतिभूतियों को एसएलआर उद्देश्य के लिए भारग्रस्त प्रतिभूतियों

[1] अनुमोदित प्रतिभूतियों को सामान्य रूप से एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में जाना जाता है।

के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिए वे भी विनिर्दिष्ट एसएलआर आस्ति की अर्हता प्राप्त करेंगे:

(a)अग्रिम या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्थान के पास उस सीमा तक रखी गई प्रतिभूतियां जिन प्रतिभूतियों को आहारित नहीं किया गया है अथवा जिनको भुनाया नहीं गया है;

(b) संबंधित बैंक के आवश्यक एसएलआर पोर्टफोलियो के लिए निर्धारित भारत में कुल एनडीटीएल के अनुमेय प्रतिशत तक सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) से चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को जमानत के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां;

(c) चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा (एफ़एएलएलसीआर) के अंतर्गत चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को जमानत के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां; और

(d)आरबीआई-एलएएफ और मार्केट रेपो लेनदेन के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त की गई प्रतिभूतियां।

iv) 'बैंकिंग प्रणाली के पास आस्ति ' का अर्थ निम्नानुसार होगा:

a) चालू खाते में बैंकों के पास शेष राशि, बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के पास अन्य खातों में शेष राशि, ऋण या एक पखवाड़े या उससे कम अवधि की मांग या अल्प सूचना पर प्रतिदेय जमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को उपलब्ध कराई गई निधि और बैंकिंग प्रणाली को उपलब्ध कराए गए मांग या अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि के अतिरिक्त अन्य ऋण शामिल हैं ।

b) बैंकिंग प्रणाली से देय अन्य कोई राशि जिसे उपरोक्त मदों में से किसी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को भी बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियों के रूप में लिया जाना है ।

v) 'औसत दैनिक शेष' का अर्थ है एक पखवाड़े के प्रत्येक दिन के कारोबार की समाप्ति पर बची शेष राशि का औसत

vi) 'भारत में बैंक ऋण' का अर्थ सभी बकाया ऋण और अग्रिमों से होगा जिसके लिए प्रावधान किए गए हैं और/या पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है {लेकिन दायित्व रहित पुनर्बट्टाकृत बिल और प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे खाते में डाले गए अग्रिमों (यानी तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए) के अतिरिक्त}।

vii) निर्धारित फॉर्म ए/फॉर्म बी रिटर्न में जहां कहीं भी 'प्रणाली' अथवा 'बैंक' दिखाई देता है, उसका अर्थ बैंक और किसी अन्य वित्तीय संस्थान से होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) (घ) और (ङ) के अंतर्गत दी गई व्याख्या के उप-खंड (i) से (vi) में संदर्भित किया गया है ।

viii) “नकदी” निम्नलिखित द्वारा बनाए रखा जाएगा:

i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र के बैंक के लिए शामिल होंगे,

- शेष नकदी,
- भारत में अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास चालू खातों में निवल शेष राशि
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारत के बाहर गठित किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी गई अपेक्षित जमा राशि ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखे जाने वाली शेष राशि से अधिक की कोई भी शेष राशि;
- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत किसी बैंक द्वारा आरबीआई के पास रखी गई कोई भी शेष राशि।

ii) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के लिए निम्नलिखित शामिल होंगे:

- कोई सहकारी बैंक, जो एक अनुसूचित बैंक है, द्वारा बनाए रखा गया नकदी,
- कोई सहकारी बैंक, जो अनुसूचित बैंक नहीं है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 18 के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत बनाए रखने के लिए अपेक्षित नकदी या शेष राशि से अधिक बनाए रखा गया नकदी,
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी सहकारी बैंक, जो एक अनुसूचित बैंक है, के द्वारा रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखे जाने वाली शेष राशि से अधिक की कोई भी शेष राशि;
- कोई सहकारी बैंक, जो अनुसूचित बैंक नहीं है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 18 के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत बनाए रखने के लिए अपेक्षित शेष राशि से अधिक बनाए रखा गया कोई शेष राशि, और
- "चालू खातों में निवल शेष राशि" का अर्थ है बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 18 के की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 56 में दी गई व्याख्या के अंतर्गत इसके द्वारा उक्त धारा के अनुसार बनाए रखने के लिए अपेक्षित शेष राशि से अधिक बनाए रखा गया कोई शेष राशि।
- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के अंतर्गत किसी सहकारी बैंक द्वारा आरबीआई के पास राखी गई कोई भी शेष राशि।

ix) 'भारत में नकदी/हाथ में नकदी' में बैंक शाखाओं/एटीएम/बैंक द्वारा रखे गए नकद जमा मशीनों में रखे गए कुल रुपये के नोट और सिक्के शामिल होंगे, जिनमें बैंक की खाता पुस्तकों में अंतरण में शामिल नकदी के साथ-साथ कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के पास उपलब्ध नकदी भी शामिल है, लेकिन जहां नकदी का भौतिक कब्जा आउटसोर्स विक्रेताओं/बीसी के पास है, जो बैंक के एटीएम में वापस मंगाया नहीं जाता है और/या बैंक की खाता पुस्तकों में परिलक्षित नहीं होता है; उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

x) "तत्स्थानीय नए बैंक" से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अंतर्गत गठित तत्स्थानीय नए बैंक से अभिप्रेत है;

xi) 'मान्यताप्राप्त नकदी' एसएलआर रखरखाव के उद्देश्य से भारत में रखा गया नकदी होगा और जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(a) इन निदेशों की धारा 3 (a) (ix) में यथापरिभाषित हाथ में नकद;
(b) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अपेक्षित और भारत के बाहर गठित किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखा गया जमा;
(c) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पास बनाए रखे जाने वाले शेष राशि से अधिक का कोई भी शेष;
(d) भारत में अन्य एससीबी के पास चालू खातों में निवल शेष ।
(e) स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत किसी बैंक द्वारा आरबीआई के पास रखी गई कोई भी शेष राशि।

xii) 'मांग जमा' का अर्थ बैंक द्वारा प्राप्त जमा होगा जो मांग पर वापस लिया जा सकता है और इसमें चालू जमा, बचत जमाओं का मांग वाला भाग, ओवरड्राफ्ट में जमा शेष, नकद ऋण खाते, मांग पर देय जमा, अतिदेय जमा, नकद प्रमाण पत्र आदि शामिल होंगे।

xiii) 'मांग देयताओं' का अर्थ बैंक की देयताओं से होंगी जो मांग पर देय हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

a) चालू जमा,
b) बचत बैंक जमाओं की मांग देनदारियों का हिस्सा ,
c) साख/गारंटी पत्रों के बदले रखा गया मार्जिन,
d) अतिदेय सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र और संचयी/आवर्ती जमा में शेष राशि,
e) बकाया तार अंतरण (टीटी), डाक अंतरण (एमटी), मांग ड्राफ्ट (डीडी),
f) बिना दावा वाले जमा,

g) नकद ऋण खाते में नकदी शेष,
h) मांग पर देय अग्रिमों के लिए जमानत के रूप में रखी गई जमाएं ।

स्पष्टीकरण: बैंकिंग प्रणाली के बाहर से मांग और अल्प सूचना पर देय राशि को अन्य के लिए देयता के बदले दिखाया जाएगा ।

xiv) )'जिला केंद्रीय सहकारी बैंक' का अर्थ किसी राज्य के किसी जिले में प्रधान सहकारी समिति से होगा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य उस जिले में अन्य सहकारी समितियों का वित्तपोषण होगा:

**बशर्ते कि** किसी जिले में ऐसी प्रधान सोसायटी के साथ-साथ, अथवा जहां किसी जिले में ऐसी प्रधान सोसायटी नहीं है, राज्य सरकार उस जिले में अन्य सहकारी समितियों के वित्तपोषण के व्यवसाय को संचालित करने वाली किसी भी एक या एक से अधिक सहकारी समितियों को भी इस परिभाषा के अर्थ के भीतर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या एकाधिक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होने की घोषणा कर सकती है।

xv) 'एक पक्ष' का अर्थ है शनिवार से आरंभ करके एक रिपोर्टिंग शुक्रवार के बाद, दूसरे शुक्रवार तक की अवधि जिसमें दोनों दिन शामिल है ।

xvi) 'भारत में निवेश' में अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों (नीचे दिए गए व्याख्या अनुसार) में निवेश शामिल होगा। इनमें बैंक की निवेश पुस्तिका के अनुसार ऋण भारसहित और ऋण भाररहित दोनों प्रतिभूतियां शामिल होंगी।

(आरबीआई-एलएएफ और मार्केट रेपो के अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिग्रहीत प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)
xvii)' भारत में अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश' का अर्थ ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होगा जो अनुमोदित प्रतिभूतियां नहीं {जैसे उदय बांड के रूप में जारी राज्य विकास ऋण (एसडीएल)} हैं।
xviii)'नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ)' से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संचालित नियत और परिवर्ती दर वाले रेपो परिचालन (चलनिधि के अंतर्वेशन के लिए) और रिवर्स रेपो परिचालन (चलनिधि के अवशोषण के लिए)से होगा।

xix) 'स्थानीय क्षेत्र बैंक का अर्थ' बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त बैंकिंग कंपनी से होगा।

xx) 'सीमांत स्थायी सुविधा[2]' का अर्थ यह होगा कि पात्र बैंक अतिरिक्त एसएलआर धारिता के बदले में रिज़र्व बैंक से चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे द्वितीय पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को अपने संबंधित एनडीटीएल शेष के एक निश्चित प्रतिशत तक, अपने निर्धारित एसएलआर को कम करके एक दिवसीय चलनिधि का लाभ भी उठा सकते हैं।

[2] एमएसएफ़ के अंतर्गत ब्याज़ दर एलएएफ़ रेपो दर से उच्चतर कोई दर आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा ।

xxi) 'बाजार उधार कार्यक्रम' का अर्थ सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित और इस संबंध में जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए अनुसार नीलामी या किसी अन्य विधि के माध्यम से इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए विनियमों के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जनता से जुटाए गए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार योग्य प्रतिभूतियां जारी करके प्रबंधित घरेलू रुपये के ऋण होगा।

xxii) 'चालू खातों में निवल शेष' का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के स्पष्टीकरण (ग) में दिया गया है।

xxiii) 'अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों' से तात्पर्य ऊपर धारा 3 (a) (iii) में उल्लिखित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित अन्य सरकारी प्रतिभूतियों से है।

xxiv) 'अन्य मांग और आवधिक देयताएँ (ओडीटीएल)' में निम्नलिखित शामिल होंगे:

a) जमाओं पर अर्जित ब्याज, देय बिल, बकाया लाभांश, अन्य बैंकों या जनता को बकाया राशि से संबंधित उचंत खाता शेष, शाखा समायोजन खाते में निवल जमा शेष और बैंकिंग प्रणाली में बकाया अन्य कोई ऐसी राशि जो जमा या ऋण की श्रेणी में नहीं है:

(b) अंतर-शाखा समायोजन खाते में पांच वर्ष से अधिक समय से अलग-अलग बकाया ऋण प्रविष्टियों से संबंधित अवरुद्ध खाते में बकाया राशि, खरीदे गए/भुनाये गए बिलों पर मार्जिन राशि और विदेशों से बैंकों द्वारा उधार लिए गए सोने[3] का अंतर।

(c) अपर टियर 2 और टियर 2 पूंजी के लिए पात्रता रखने वाले लिखतों के माध्यम से उधार

व्याख्या :

*(i)* ऐसी देयताएँ अन्य बैंकों की ओर से बिलों की वसूली, अन्य बैंकों के कारण ब्याज आदि जैसी मदों के कारण पैदा हो सकती हैं। यदि कोई बैंक कुल ओडीएटीएल से बैंकिंग प्रणाली की देयताओं को अलग नहीं कर सकता है, तो सम्पूर्ण ओडीटीएल को फॉर्म 'ए' और फॉर्म 'बी' में विवरणी की मद II (सी) 'अन्य मांग और मियादी देयताओं' के बदले दर्शाया जाना है'।

*(ii)* समपार्श्विक व्युत्पन्नी लेनदेन के अंतर्गत प्राप्त नकदी समपार्श्विक को आरक्षित अपेक्षाओं के उद्देश्य से बैंक के एनडीटीएल में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये 'बाह्य देयताओं' की प्रकृति

[3] वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित रुपये-डॉलर संदर्भ दर के साथ गोल्ड/यूएसडी दर के लिए लंदन एएम फिक्सिंग के क्रॉसिंग के माध्यम से सोने का रूपांतरण दर रुपये में करके किया जाना है ।

के हैं। जमा पर अर्जित ब्याज की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग पखवाड़े (विभिन्न प्रकार के खातों पर लागू ब्याज गणना विधियों के अनुसार) पर की जानी चाहिए ताकि इस संबंध में बैंक की देयता उसी पाक्षिक विवरणी के कुल एनडीटीएल में उचित रूप से परिलक्षित हो।

xxv) 'प्राथमिक सहकारी बैंक' का अर्थ होगा किसी प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली कोई सहकारी समिति:-

a) जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय बैंकिंग कारोबार संबंधी लेन-देन है;
b) जिसका चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि एक लाख रुपये से कम नहीं है; और
c) जिसका उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देती हैं:

**बशर्ते कि** उक्त उप-खंड इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों में से ऐसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी की सदस्यता लेने वाले ऐसे सहकारी बैंक के सदस्य के रूप में सहकारी बैंक के प्रवेश पर लागू नहीं होगा ।

xxvi ) 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक' का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकिंग कंपनी होगा और इसमें भारतीय स्टेट बैंक, तत्स्थानीय नए बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

xxvii) 'राज्य सहकारी बैंक' का अर्थ किसी राज्य में प्रधान सहकारी समिति होगा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य में अन्य सहकारी समितियों का वित्तपोषण है

**बशर्ते कि** किसी राज्य में ऐसी प्रधान सोसायटी के अतिरिक्त, अथवा जहां किसी राज्य में ऐसी प्रधान सोसायटी नहीं है, राज्य सरकार उस राज्य में किसी एक या एक से अधिक सहकारी समितियों को भी इस परिभाषा के अर्थ के भीतर राज्य सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक होने की घोषणा कर सकती है;

xxviii) 'सावधि जमा' का अर्थ मांग जमा के अतिरिक्त अन्य कोई जमा होगा।

xxix) 'आवधिक देयताएं' : बैंक की मांग देयताओं को छोड़कर अन्य देयताएं आवधिक देयताएं होंगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(a) सावधि जमा,
(b) नकद प्रमाण पत्र,
(c) संचयी और आवर्ती जमा,
(d) बचत बैंक जमाओं की आवधिक देयताओं वाला भाग,
(e) कर्मचारियों की जमानत जमाराशि,
(f) ऋण पत्र के बदले रखा गया ऐसा मार्जिन जो मांग पर देय नहीं है,

(g) अग्रिमों के लिए प्रतिभूतियों के रूप में रखी गई ऐसी जमाराशियाँ जो मांग पर देय नहीं हैं

(h) जमा सोना

xxx) इसमें प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्तियाँ, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु बैंककारी विनियमन अधिनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम या उसके लिए या वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किए जाने वाले किसी सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन के अंतर्गत उन्हें सौंपा गया है, का स्थिति के अनुसार वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में है।

## अध्याय – IV
## आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)

### 4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)

प्रत्येक बैंक भारत में आरक्षित नकदी निधि के माध्यम से अपनी निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के कुल प्रतिशत के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर राशि, इस तरह और ऐसी तारीखों के लिए रखेगा, जैसा कि रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और बीआर अधिनियम,1949 की धारा 18 (1) [सहकारी बैंकों पर लागू बीआर अधिनियम की धारा 18 (1) के प्रावधानों सहित] के अनुसार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगा।

### 5. वृद्धिशील सीआरआर

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1 ए) के संदर्भ में, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम की धारा 42 (1) के अंतर्गत निर्धारित शेष राशि के साथ ही एक अतिरिक्त औसत दैनिक शेष राशि बनाए रखें, जो समय-समय पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से कम नहीं होगी।

बशर्ते कि इस प्रकार की अतिरिक्त शेष राशियों की गणना अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि को कारोबार की समाप्ति पर बैंक की कुल एनडीटीएल के ऊपर उसकी अतिरिक्त एनडीटीएल राशि के संदर्भ में की जाएगी, जैसा कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) में संदर्भित विवरणी में दिखाया गया है।

### 6. सीआरआर का रखरखाव

(a) प्रत्येक अनुसूचित बैंक भारत में रिज़र्व बैंक के पास एक औसत दैनिक शेष रखेगा, जिसकी राशि 13 दिसंबर 2024 तक 4.50 प्रतिशत, 14 दिसंबर 2024 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से 4.25 प्रतिशत और 28 दिसंबर से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 4.00 प्रतिशत, जो कि दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में बैंक के कुल एनडीटीएल से कम नहीं होगी । इस संबंध में अनुसूचित बैंकों पर लागू प्रावधानों की सीमा यथोचित परिवर्तनों सहित लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) पर लागू होगी।

(b) प्रत्येक सहकारी बैंक (अनुसूचित सहकारी बैंक नहीं होने के कारण), भारत में दैनिक आधार पर नकदी रिज़र्व के माध्यम से; या रिज़र्व बैंक या संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास चालू खाते में शेष राशि के माध्यम से; या चालू खातों में निवल शेष के माध्यम से; या प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के मामले में, संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पास शेष राशि; या उपर्युक्त में से एक या एक से अधिक तरीकों से, दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में अपने एनडीटीएल के 4.50 प्रतिशत के बराबर की राशि 13 दिसंबर 2024 तक, 14 दिसंबर से आरंभ होने वाले पखवाड़े से 4.25 प्रतिशत और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 4.00 प्रतिशत बनाए रखेंगे।
(c) स्थानीय क्षेत्र के बैंक भारत में अपने पास या रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष राशि के माध्यम से, या चालू खातों में निवल शेष के माध्यम से या उपरोक्त में से एक या एक से अधिक तरीकों से, दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में अपने एनडीटीएल के 4.50 प्रतिशत के बराबर की राशि 13 दिसंबर 2024 तक, 14 दिसंबर से आरंभ होने वाले पखवाड़े से 4.25 प्रतिशत और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 4.00 प्रतिशत बनाए रखेंगे ।

**7 दैनिक आधार पर न्यूनतम सीआरआर बनाए रखना**

प्रत्येक अनुसूचित बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक रिपोर्टिंग पखवाड़े के दौरान सभी दिनों में आवश्यक सीआरआर के नब्बे प्रतिशत से कम नहीं का न्यूनतम सीआरआर इस प्रकार से बनाए रखेंगे कि प्रतिदिन बनाए जाने वाले सीआरआर का औसत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरआर से कम नहीं होगा।

**8 निवल मांग और मियादी दियाताएं (एनडीटीएल)**

(i) किसी बैंक की एनडीटीएल में (a) अनुसूचित बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 या गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 18, या गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 में परिभाषित बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियों के लिए बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं शामिल हैं, और मांग और (b) मांग और आवधिक जमा या उधार या देयताओं के अन्य विविध वस्तुओं के रूप में दूसरों के प्रति देयताएं।
(ii) इन निदेशों के उद्देश्य के लिए, रिज़र्व बैंक किसी भी लेनदेन या लेन-देन के वर्ग के संदर्भ में समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है कि इस तरह के लेनदेन या लेनदेन को बैंक के भारत में देयता के रूप में माना जाएगा।
(iii) यदि कोई प्रश्न उठता है कि इन निर्देशों के उद्देश्य से क्या किसी लेन-देन या एकाधिक लेन-देन को किसी बैंक के भारत में देयता के रूप में माना जाएगा, तो इस संबंध में बैंक आरबीआई से संपर्क करेगा । इस पर रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

(iv) भारत में बैंकों द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण/उधार को 'दूसरों के लिए देयताओं' के रूप में गिना जाएगा और यह आरक्षित आवश्यकताओं के अधीन होगा। दूसरी ओर, विदेशों में बैंकों द्वारा दिये गए ऋण को बैंकिंग प्रणाली की आस्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिए अंतर-बैंक देयताओं से इन्हें घटाकर समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(v) भारत/विदेशों में लिए गए और बनाए गए अपर टियर II लिखतों को आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य से एनडीटीएल की गणना के लिए देयता के रूप में गिना जाएगा ।

(vi) धनप्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत अपने प्रतिनिधि बैंक के नामे स्वीकारकर्ता बैंक द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट के संबंध में शेष राशि और शेष बकाया राशि को एनडीटीएल की गणना के लिए 'भारत में दूसरों के लिए देयता' के रूप में गिना जाएगा। प्रतिनिधि बैंकों द्वारा प्राप्त राशि को 'बैंकिंग प्रणाली के लिए देयता' के रूप में गिना जाएगा और इस देयता को अंतर-बैंक आस्तियों के बदले प्रतिनिधि बैंकों द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

(vii) ड्राफ्ट जारी करने/ब्याज/लाभांश वारंट जारी करने के लिए बैंकों द्वारा रखी गई राशि को 'बैंकिंग प्रणाली के पास आस्ति' माना जाएगा और बैंकों के पास उन्हें अपनी अंतर-बैंक देयताओं के साथ समायोजित करने का विकल्प होगा ।

(viii) अनुसूचित बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को कारोबार की समाप्ति पर उनकी बचत बैंक जमा के संबंध में मांग देयताओं और आवधिक देयताओं के अनुपात की गणना दैनिक उत्पाद आधार पर बचत बैंक जमा पर ब्याज लागू करना जारी रहेगा ।

## 9. एनडीटीएल गणना के लिए देयताओं को शामिल नहीं किया जाना

नीचे उल्लिखित देयताएं सीआरआर और एसएलआर के प्रयोजन के लिए किसी बैंक की देयताओं का हिस्सा नहीं होंगी:

a)(i) टियर 1 और अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए अर्हक निवेशों के माध्यम से प्रदत्त पूंजी, आरक्षित निधियां, उधारी; बैंक के लाभ और हानि खाते में कोई ऋण शेष; आरबीआई, एक्ज़िम बैंक, एनएचबी, नाबार्ड और सिडबी से लिए गए किसी भी ऋण / पुनर्वित्त की राशि।
बशर्ते कि जारी करने के लिए बैंक या अन्य बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा एकत्र की गई धनराशि और अतिरिक्त टियर 1 वरीयता शेयरों के आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए लंबित रखने के लिए आरक्षित आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

a)(ii) राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में, राज्य सरकार या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिया गया कोई ऋण, क्षेत्र के भीतर किसी भी सहकारी समिति द्वारा बनाए गए आरक्षित निधि का प्रतिनिधित्व करने वाली धन की कोई जमा राशि बैंक के संचालन के संबंध में। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में, उनके द्वारा संबंधित राज्य सहकारी बैंक से लिया गया अग्रिम भी।

राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अपने पास रखे गए शेष के विरुद्ध दिए गए किसी अग्रिम के संबंध में, ऐसी शेष राशि उसमें बकाया राशि की सीमा तक।

बशर्ते यह भी कि अनुमोदित प्रतिभूतियों के बदले में ली गई कोई अग्रिम या अन्य ऋण व्यवस्था एसएलआर उद्देश्यों (अनुसूचित एसटीसीबी के मामले में) और सीआरआर और एसएलआर दोनों उद्देश्यों के लिए एनडीटीएल(अन्य एसटीसीबी/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के मामले में)गणना के लिए शामिल नहीं की जाएगी

**a**)(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मामले में**,** ऐसे बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक से लिया गया कोई ऋण।

a)(iv) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा राज्य सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से लिया गया कोई अग्रिम और साथ ही कोई अग्रिम या ऋण व्यवस्था स्वीकृत प्रतिभूतियों के विरुद्ध। किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा अपने पास रखी गई किसी भी शेष राशि के लिए दिए गए अग्रिम के मामले में, ऐसे अग्रिम के संबंध में बकाया राशि की सीमा तक ऐसी शेष राशि को एसएलआर(अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक के मामले में) और सीआरआर और एसएलआर दोनों के लिए (अन्य प्राथमिक सहकारी बैंकों के मामले में) को एनडीटीएल गणना से बाहर रखा जाएगा।

a)(v) किसी अनुसूचित/गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा NaBFID से लिया गया कोई भी ऋण/पुनर्वित्त सीआरआर/एसएलआर के लिए एनडीटीएल गणना से बाहर रखा जाएगा। किसी अनुसूचित सहकारी बैंक द्वारा NaBFID से लिया गया ऋण/पुनर्वित्त केवल सीआरआर के लिए एनडीटीएल गणना से बाहर रखा जाएगा (एसएलआर के लिए नहीं)। इसके अलावा, किसी गैर-अनुसूचित सहकारी बैंक द्वारा NaBFID से लिए गए ऋण/पुनर्वित्त को सीआरआर/एसएलआर के लिए एनडीटीएल गणना से बाहर नहीं किया जाएगा।

b) निवल आयकर प्रावधान;

c) दावों के प्रति डीआईसीजीसी से प्राप्त और उसके समायोजन के लिए बैंक द्वारा धारित राशि;

d) गारंटी लागू करके ईसीजीसी से प्राप्त राशि;

e) न्यायालय के निर्णय के लंबित दावों के तदर्थ निपटान पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशि;

f) न्यायालयीन  रिसीवर से प्राप्त राशि;

g) बैंकर स्वीकृति सुविधा (बीएएफ) के तहत सीमाओं के उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली देयताएँ;

h) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) की सहायकी को स्वयं सहायता समूहों के नाम से सहायकी रिजर्व फंड खाते में रखी गयी है;

i) ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीनीकरण/विस्तार के लिए निवेश सहायकी योजना के तहत नाबार्ड द्वारा जारी सहायकी;

j) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सहायकी जो शून्य प्रतिशत सावधि जमा खाते में रखी जाती है, यदि सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित नियम/शर्तें और शून्य प्रतिशत एफडीआर खाते को दिया गया लेखा/परिचालन उपचार शून्य प्रतिशत सहायकी रिजर्व फंड खाते के समान है;

k) व्यापारिक निवेश-सूची के तहत व्युत्पन्नी लेनदेन से होने वाला निवल अप्राप्त लाभ/हानि;

l) अग्रिम रूप से प्राप्त आय प्रवाह जैसे वार्षिक शुल्क और अन्य शुल्क जो वापसी योग्य नहीं हैं; तथा

m) आरबीआई द्वारा अनुमोदित पात्र वित्तीय संस्थानों के साथ एक बैंक द्वारा पुनर्बट्टाकृत बिल।

n) पात्र बैंकों द्वारा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से दावों और उसके लंबित समायोजनों के लिए गारंटी का उपयोग करके प्राप्त राशि।

## 10. छूट प्राप्त श्रेणियाँ

अनुसूचित बैंकों को निम्नलिखित देयताओं पर सीआरआर बनाए रखने से छूट दी गई है:

a) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) (डी) और 42 (1) (ई) में परिभाषित बैंकिंग प्रणाली के साथ आस्तियों से बैंकिंग प्रणाली की देयताओं का निवल निम्नानुसार है:-

(**A**) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (डी) के तहत गणना के अनुसार बैंकिंग प्रणाली के लिए देयताएं।

एक अनुसूचित बैंक, जो एक राज्य सहकारी बैंक नहीं है, की "देयताओं" का कुल योग:-

i) भारतीय स्टेट बैंक

ii) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 द्वारा गठित एक संबंधित नया बैंक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 द्वारा गठित एक संबंधित नया बैंक।,

iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के तहत स्थापित कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,

iv) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी,

v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित एक सहकारी बैंक, और

vi) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्थान,

अनुसूचित बैंक को ऐसे सभी बैंकों और संस्थानों की देयताओं के योग से कम किया जाएगा।

(**B**) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (ई) के तहत गणना के अनुसार बैंकिंग प्रणाली के लिए देयताएं।

एक अनुसूचित बैंक, जो एक राज्य सहकारी बैंक है, की "देयताओं" का कुल योग:-

i) भारतीय स्टेट बैंक

ii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 द्वारा गठित एक संबंधित नया बैंक, और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 द्वारा गठित एक संबंधित नया बैंक,

iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी,

iv) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्थान,

राज्य सहकारी बैंक को ऐसे सभी बैंकों और संस्थानों की देयताओं के योग से कम किया जाएगा।

b) एसीयू (यूएस$) खातों में ऋण शेष;
c) उनकी अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) के संबंध में मांग और मियादी देयताएं।
d) बुनियादी ढांचे के ऋण और किफायती आवास ऋण के वित्तपोषण के लिए न्यूनतम पात्र ऋण (ईसी) और बकाया दीर्घकालिक बांड (एलबी) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) के लिए दिशानिर्देश– दिनांक 15 जुलाई 2014, डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.25/08.12.014/2014-15 और दिनांक 27 नवंबर 2014, डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.50/08.12.014/2014-15 के अनुसार;
e) बैंक के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) के संबंध में देयताएं;
f) सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति बाजार रेपो के अंतर्गत उधार ली गई निधियां।
g) विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण को प्रोत्साहित करना - सीआरआर रखरखाव से छूट

(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा ऑटोमोबाइल, आवासीय आवास, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण के रूप में उनके द्वारा वितरित वृद्धिशील ऋण की बराबर राशि में कटौती, इन खंडों को ऋण के बकाया स्तर से अधिक और ऊपर सीआरआर के

रखरखाव के लिए उनके एनडीटीएल से 31 जनवरी 2020 को समाप्त पखवाड़े के अंत तक करने की अनुमति दी गई है।

(ii) 31 जनवरी 2020 से शुरू होने वाले पखवाड़े और 31 जुलाई 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े से बकाया वृद्धिशील ऋण के बराबर राशि की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए, ऋण की उत्पत्ति या ऋण की अवधि, जो भी पहले हो, सीआरआर की गणना के उद्देश्य से एनडीटीएल से कटौती के लिए पात्र होंगे।

(iii) बैंकों को अनुबंध ए से फॉर्म ए में निर्धारित धारा - 42 विवरणी में "छूट / अन्य" के तहत एक पखवाड़े के अंत में प्राप्त छूट की रिपोर्ट करना आवश्यक है। पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए बैंकों द्वारा मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) या समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित, चयनित क्षेत्रों/एनडीटीएल छूट के लिए दिए गए निवल वृद्धिशील ऋण के उचित पाक्षिक रिकॉर्ड बनाए जाने चाहिए।

h) सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि 30 जुलाई 2022 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से, बैंकों द्वारा जुटाई गई 1 जुलाई 2022 की आधार तिथि के संदर्भ में वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमा और साथ ही एनआरई सावधि जमा को सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव से छूट दी गई है। यह छूट 04 नवंबर 2022 तक जुटाई गई जमा राशि के लिए वैध हैं। रिजर्व रखरखाव पर छूट मूल जमा राशि के लिए तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कि जमा राशि बैंक के बुक्स में न रखी जाए।

**11a) सीआरआर गणना**

बैंकों द्वारा नकदी प्रबंधन में सुधार के लिए, सरलीकरण के उपाय के रूप में, बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार के एनडीटीएल के आधार पर सीआरआर बनाए रखने के लिए एक पखवाड़े के अंतराल की अनुमति है।

**b) सीआरआर के तहत आरबीआई के पास एससीबी द्वारा बनाए गए पात्र नकद शेष पर कोई ब्याज भुगतान नहीं है**

भारतीय रिजर्व बैंक एससीबी द्वारा रखे गए सीआरआर शेष पर कोई ब्याज नहीं देता है।

**12. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों और अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा (आईबीएफसी) जमाराशियों में से ऋण**

इन निदेशों के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (बैंकों), (एफसीएनआर [बी] जमा योजना) और अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा (आईबीएफसी) जमाराशियों में से ऋण को बैंक ऋण के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा। बैंक वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित रूपांतरण दर का उपयोग पैरा 2 में उल्लिखित सांविधिक विवरणी में रिपोर्टिंग के लिए विदेशी आस्तियों/देयताओं को परिवर्तित करने के उद्देश्य से करेंगे। अन्य मुद्राओं

में आस्तियों/देयताओं के रूपांतरण के लिए, बैंक ऐसी मुद्राओं को यूएसडी में परिवर्तित करने के लिए रिपोर्टिंग शुक्रवार के दिन के अंत से संबंधित न्यूयॉर्क क्लोजिंग दर का उपयोग कर सकते हैं और फिर आईएनआर में रूपांतरण के लिए उसी दिन यूएसडी/आईएनआर के लिए एफबीआईएल की संदर्भ दर का उपयोग कर सकते हैं। ।

## अध्याय – V

## सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

### 13. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

प्रत्येक बैंक, इन निदेशों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक नकदी भंडार के अलावा, भारत में, आस्तियों, जिसका मूल्य दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में उसकी मांग और मीयादी देयताओं के कुल प्रतिशत के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, का रखरखाव करेगा, जैसा कि रिज़र्व बैंक, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और ऐसी आस्तियों का अनुरक्षण ऐसे रूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

### 14. एसएलआर - पात्र आस्तियां

प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), स्थानीय क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भारत में आस्तियों (इसके बाद 'एसएलआर आस्ति' के रूप में संदर्भित) को बनाए रखेंगे, जिसका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की विधि के अनुसार दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में उनकी कुल निवल मांग और मियादी देयताएँ के 18 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

**15. सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)**

रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत बैंकों के पास रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना में भाग लेने का विकल्प होगा। योजना की विशेषताएं आगामी पैराग्राफों में दी गई हैं:

(i) पात्र बैंकों के पास दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में अपने संबंधित एनडीटीएल बकाया के दो प्रतिशत तक उधार लेने का विकल्प होगा।

(ii) पात्र संस्थाओं को भी इस सुविधा के तहत अपनी अतिरिक्त एसएलआर होल्डिंग्स के विरुद्ध एकदिवसीय निधि का उपयोग करना जारी रखना होगा।

(iii) बैंकों की एसएलआर होल्डिंग उनके एनडीटीएल के दो प्रतिशत तक सांविधिक आवश्यकता से कम होने की स्थिति में, बैंकों को जारी अधिसूचना के अनुसार इस सुविधा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले एसएलआर अनुपालन में चूक के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की उप धारा (2ए) के तहत एक विशिष्ट छूट प्राप्त करने का दायित्व नहीं होगा।

**16.** अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक सरकारी प्रतिभूतियों को चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना के उद्देश्य से स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली बैंकों की तरल आस्ति (एचक्यूएलए) के रूप में गिना जाने की अनुमति है। इसके अलावा, बैंकों को अपने एनडीटीएल के ऐसे प्रतिशत तक को अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर लेवल 1 एचक्यूएलए के रूप में गिनने की अनुमति है, जैसा कि आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। यह सुविधा बैंकों को चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की गई है।

**17. बैंकों द्वारा एसएलआर आस्तियों का रखरखाव निम्नानुसार किया जाएगा:**

**A) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए।**

(a) नकद, या;

(b) सोना, जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5(जी) में परिभाषित किया गया है, जिसका मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक नहीं है, या;

(c) निम्नलिखित में से किसी भी लिखत में भार रहित निवेश [इसके बाद सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों ("एसएलआर प्रतिभूतियां") के रूप में संदर्भित], अर्थात्: -

(i) बाजार उधार कार्यक्रम और बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत समय-समय पर जारी भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां; या

(ii) भारत सरकार के ट्रेजरी बिल; या

(iii) बाजार उधार कार्यक्रम के तहत समय-समय पर जारी राज्य सरकारों के राज्य विकास ऋण (एसडीएल):

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य लिखत

(जैसा और जब निर्धारित किया गया हो)।

(d) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यक जमा और बिना भार वाली अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, जो भारत के बाहर निगमित एक बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक के पास की जानी हैं;

(e) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के तहत एक अनुसूचित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पास रखी गई शेष राशि से अधिक की शेष राशि;

**बशर्ते कि** ऊपर उल्लिखित मदों (c) (i) से (iii) में संदर्भित लिखत, रिवर्स रेपो के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए हैं, एसएलआर रखरखाव के लिए पात्र आस्ति के रूप में माना जाएगा।

**बशर्ते आगे कि** निम्नलिखित एसएलआर-प्रतिभूतियों को एसएलआर आस्ति के रखरखाव के उद्देश्य से भारग्रस्त नहीं माना जाएगा, अर्थात्: -

(a) अग्रिम या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्था के पास जमा की गई प्रतिभूतियां जिस सीमा तक ऐसी प्रतिभूतियों के खिलाफ आहरित या लाभ नहीं उठाया गया है;

(b) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत भारत में कुल एनडीटीएल के अनुमेय प्रतिशत तक तरलता सहायता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को संपार्श्विक के रूप में पेश की गई प्रतिभूतियां, संबंधित बैंक के आवश्यक एसएलआर पोर्टफोलियो से तैयार की गई हैं;

(c) 'चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता का लाभ उठाने की सुविधा (एफएएलएलसीआर)' के तहत चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को संपार्श्विक के रूप में दी गई प्रतिभूतियां; तथा

B) **प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए**,

(a) नकद, या

(b) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) (1949 का 10) की धारा 5 (जी) में परिभाषित सोने का मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक नहीं है: या

(c) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(ए) में परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियों में भाररहित निवेश के अनुसार:

**बशर्ते कि** प्रतिवर्ती रेपो के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए लिखतों को एसएलआर रखरखाव के लिए पात्र आस्ति के रूप में माना जाएगा।

**बशर्ते आगे कि** निम्नलिखित प्रतिभूतियों को एसएलआर आस्तियों के रखरखाव के उद्देश्य से भारग्रस्त नहीं माना जाएगा, अर्थात्: -

(a) अग्रिम या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्था के पास जमा की गई प्रतिभूतियां जिस सीमा तक ऐसी प्रतिभूतियों के खिलाफ आहरित या लाभ नहीं उठाया गया है;

(b) संबंधित बैंक के आवश्यक एसएलआर पोर्टफोलियो से तैयार किए गए भारत में कुल एनडीटीएल के अनुमेय प्रतिशत तक एमएसएफ के तहत चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक को संपार्श्विक के रूप में दी जाने वाली प्रतिभूतियां।

**स्पष्टीकरण- इस निदेश के उद्देश्य के लिए,**

(a) i) ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) सुविधाओं के तहत भारतीय समाशोधन नि गम लि. (सीसीआईएल) के साथ रखे गए बैंक के गिल्ट खाते में दर्ज प्रतिभूतियों को संबंधित बैंक द्वारा किसी भी दिन के अंत में बिना भार के एसएलआर उद्देश्यों के लिए माना जा सकता है।

ii) सरकारी प्रतिभूतियों में त्री-पक्षीय रेपो सहित रेपो के तहत उधार ली गई निधियों को सीआरआर/एसएलआर गणना से छूट दी जाएगी और रेपो के तहत अर्जित प्रतिभूति एसएलआर के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि प्रतिभूति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक रूप से एसएलआर के लिए पात्र हो जिसके तहत इसे बनाए रखने की आवश्यकता है।

iii) कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर में रेपो के माध्यम से किसी बैंक द्वारा उधार को आरक्षि त नकदी नि धि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात की आवश्यकता के लिए देयताओं के रूप में माना जाएगा और बैंकिंग प्रणाली के लिए ये देयताएँ जिस मात्रा में हैं, उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 के धारा 42 (1)(डी) के अनुसार निवल किया जाएगा।

(b) सभी बैंक केवल रिजर्व बैंक के सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) खातों में या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक डीलरों (पीडी), राज्य सहकारी बैंकों और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडि या लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के सीएसजीएल खातों में या नेशनल सि क्युरि टीज डि पॉजि टरी लि मि टेड (एनएसडीएल), केन्द्रीय प्रतिभूति सेवाएँ लिमिटेड (सीडीएसएल), और भारतीय राष्ट्रीय प्रति भूति समाशोधन नि गम लि. (एनएससीसीएल) जैसे नि क्षेपागार के अमूर्तीकृत खातों में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश बनाए रखेंगे।

(c) बैंकों द्वारा फॉर्म VIII अथवा फॉर्म I में, जैसा लागू हो, "हाथ में नकदी (कैश इन हैंड)" के अंतर्गत आरबीआई के पास रखे गए एसडीएफ शेष की रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि यह एसएलआर रखरखाव के लिए एक योग्य संपत्ति है। एसडीएफ के तहत बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी गई शेष राशि नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रखरखाव के लिए पात्र नहीं होगी। इसके अलावा, अनुसूचित बैंकों को फॉर्म ए/बी रिटर्न में आरबीआई के पास बैंकों द्वारा रखे गए एसडीएफ शेष की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

**ध्यान दें:**

1. सरकारी प्रतिभूति की एसएलआर स्थिति के बारे में सूचना प्रसारित करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि:

i) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों की एसएलआर स्थिति प्रतिभूतियां जारी करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दर्शाई जाएगी; तथा,
ii) एसएलआर प्रतिभूतियों की एक अद्यतन और वर्तमान सूची रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर "सांख्यिकी" शीर्ष के तहत "भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस" लिंक के तहत पोस्ट की जाएगी।

2. नकद प्रबंधन बिल को भारत सरकार के ट्रेजरी बिल के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार इसे एसएलआर सुरक्षा के रूप में माना जाएगा।

## अध्याय - VI
## एसएलआर की गणना के लिए प्रक्रिया

### 18. एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना की प्रक्रिया

i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (2ए) के तहत एसएलआर के प्रयोजन के लिए कुल एनडीटीएल की गणना सीआरआर के लिए अपनाई गई समान प्रक्रिया पर की जाएगी।

ii) इन निदेशों की धारा 9 के तहत उल्लिखित देयताएँ एसएलआर के उद्देश्य के लिए भी देयताओं का हिस्सा नहीं होंगी**.**

iii) अनुसूचित सहकारी बैंकों को 'बैंकिंग प्रणाली के लिए देयताएँ' में सभी परिपक्वता अवधि की अंतर-बैंक सावधि जमा/सावधि उधार देयताओं को शामिल करना आवश्यक है।

iv) बैंक एसएलआर उद्देश्य के लिए एनडीटीएल की गणना के लिए 'बैंकिंग प्रणाली के साथ आस्ति' में सावधि जमा की अपनी अंतर-बैंक आस्ति और सभी परिपक्वता अवधि के ऋण को शामिल करेंगे।

v) इसके अतिरिक्त**,** पैरा 10 (d)**,** 10 (e) और 10 (f) **और** 10(h) में उल्लिखित देयताओं को एसएलआर आवश्यकता से छूट दी गई है।

## 19. एसएलआर पात्र प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन

अनुमोदित प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर यथा लागू मौजूदा निर्देशों के अनुसार होगा।

## अध्याय - VII रिपोर्टिंग
## फॉर्म ए / फॉर्म बी / फॉर्म I . में पाक्षिक सीआरआर रिटर्न

**20.** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक रिज़र्व बैंक को एक अनंतिम विवरणी प्रस्तुत करेंगे। फॉर्म 'ए' / फॉर्म 'बी' जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर और संबंधित पखवाड़े की तारीख के सात दिनों के भीतर, जिससे यह संबंधित है।

**21.** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत, प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक, प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर फॉर्म 'बी' में उपर्युक्त रिटर्न जमा करने की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा जिससे संबंधित है।

**22.** जहां इस तरह की रिपोर्टिंग शुक्रवार को बैंक के एक या अधिक कार्यालयों के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश है, ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में पिछले कार्य दिवस के आंकड़े के कारोबार के अंत में रिटर्न दिया जाएगा, फिर भी उस शुक्रवार से संबंधित समझा जा सकता है।

**23.** फॉर्म 'ए' या फॉर्म 'बी' (अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के लिए) में अंतिम रिटर्न, जैसा भी मामला हो, संबंधित पखवाड़े की समाप्ति से 20 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(i) फॉर्म 'ए'/फॉर्म 'बी' में रिटर्न का ज्ञापन जिसमें चुकता पूंजी, रिज़र्व, सावधि जमा जिसमें अल्पकालिक (एक वर्ष या उससे कम की संविदात्मक परिपक्वता की) और लंबी अवधि (संविदा की परिपक्वता की) का विवरण दिया गया है। एक वर्ष से अधिक), जमा प्रमाणपत्र, एनडीटीएल, कुल सीआरआर आवश्यकता आदि।

(ii) सभी विदेशी मुद्रा देनदारियों और परिसंपत्तियों को दर्शाने वाले फॉर्म 'ए' / फॉर्म 'बी' में रिटर्न के लिए अनुबंध ए / अनुबंध - I और

(iii) अनुबंध बी/अनुबंध-II में अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश, अस्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, प्राथमिक बाजार में शेयरों/ डिबेंचरों/ बांडों की सदस्यता और निजी प्लेसमेंट के

माध्यम से सदस्यता जैसे ज्ञापन मदों के बारे में विवरण देते हुए फॉर्म 'ए'/ फॉर्म 'बी' में वापस आना है।

23A. वाणिज्यिक बैंकों को फॉर्म 'ए' रिटर्न में प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन की प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित पद्धति का पालन करना चाहिए।

I. बैंकों के प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन निम्नानुसार रिपोर्ट किए जाने चाहिए:

i. 14 दिनों तक की मूल अवधि के लिए

a) फॉर्म ए की मद III(b) (अर्थात, कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा); और

b) फॉर्म ए के अनुलग्नक ए की मेमो मद 2.1 (अर्थात , अंतर बैंक परिसंपत्तियों के तहत)

ii. 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि के लिए

a) फॉर्म ए की मद III(c) (अर्थात, बैंकों को अग्रिम); और

b) फॉर्म ए के अनुलग्नक ए की मेमो मद 2.1 और 2.2 (अर्थात, अंतर बैंक आस्तियों के तहत)

II. गैर-बैंकों (अन्य संस्थानों) के साथ बैंक के प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन निम्नानुसार रिपोर्ट किए जाने चाहिए:

i. 14 दिनों तक की मूल अवधि के लिए - फॉर्म ए में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

ii. 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि के लिए - फॉर्म ए की मद VI(ए) [अर्थात भारत में बैंक क्रेडिट के तहत ऋण, नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट (अंतर-बैंक अग्रिम को छोड़कर)]

**24.** जहां किसी माह का अंतिम शुक्रवार उक्त विवरणियों के प्रयोजन के लिए रिपोर्टिंग शुक्रवार नहीं है, वहां बैंक रिज़र्व बैंक को प्रपत्र ए या फॉर्म बी जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार एक विशेष विवरणी भेजेगा। जैसा कि पिछले शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर है या जहां ऐसा अंतिम शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश है, जैसा कि पिछले कार्य दिवस पर कारोबार की समाप्ति पर है और इस तरह की रिटर्न भी जिस तारीख से यह संबंधित है उससे सात दिनों के भीतर जमा की जाएगी।

**25.** प्रत्येक सहकारी बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक नहीं होने के कारण, प्रपत्र । में अनुबंध । के साथ एक विवरणी रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उस महीने की समाप्ति के बाद 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह अन्य बातों के साथ-साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के तहत बैंक द्वारा रखे गए नकद भंडार की स्थिति को दर्शाने से संबंधित है को धारा 56 के साथ पढ़ा गया, जैसा कि महीने के दौरान प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर होता है। जहां इस तरह के वैकल्पिक शुक्रवार को बैंक के एक या अधिक कार्यालयों

के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश होता है, रिटर्न ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में पिछले दिन का आंकड़ा देगा, लेकिन फिर भी उस शुक्रवार से संबंधित माना जाएगा।

**26.** गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक परिशिष्ट I में अनुबंध 5 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार, प्रपत्र I में विवरणी के साथ अपनी स्थिति दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे।
(a) बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 18 के तहत बनाए रखा जाने वाला आरक्षित नकदी निधि
(b) आरक्षित नकदी निधि वास्तव में बनाए रखा, और
(c) महीने के प्रत्येक दिन के लिए घाटा / अधिशेष, यदि कोई हो, की सीमा।

**27.** जब भी पाक्षिक विवरणी में रिपोर्ट की गई निधियों के स्रोतों और उपयोगों के बीच व्यापक भिन्नताएं हों और अंतर 20 प्रतिशत से अधिक हो, तो संबंधित बैंकों को विवरणी में इसके लिए कारण देना चाहिए।

**28.** अनुसूचित बैंक विनियम, 1951 के विनियम 5(i) (सी) और बैंकिंग विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 के विनियम 4(1) के अनुसार, बैंकों को नामों की एक सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, बैंकों के अधिकारियों के पदनाम और नमूना हस्ताक्षर, जो बैंकों की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24 के तहत निर्धारित रिटर्न जब भी पदभार में परिवर्तन होता है तो बैंक को हस्ताक्षर के नए सेट रिज़र्व बैंक को जमा करने होते हैं।

**29**. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा फॉर्म ए और फॉर्म VIII को हार्ड कॉपी / पेपर रिटर्न में जमा नहीं किया जाना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इन रिटर्न को दो अधिकृत अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों से केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) की लाइव साइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा करना होगा। इन रिटर्न को जमा करते समय, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह देश के प्रचलित आईटी कानूनों के अनुरूप हो।

## फॉर्म VIII/फॉर्म I (एसएलआर) में वापसी

### 30. फॉर्म VIII

प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक प्रत्येक माह के 20वें दिन से पहले रिज़र्व बैंक को एक रिटर्न **फॉर्म VIII** में प्रस्तुत करेंगे जिसमें वैकल्पिक शुक्रवार को आयोजित एसएलआर की राशि दर्शाई जाएगी। भारत में ऐसे शुक्रवार को आयोजित उनके डीटीएल के विवरण के साथ तत्काल पूर्ववर्ती महीने या यदि ऐसा कोई शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत पिछले कार्य दिवस पर कारोबार की समाप्ति पर सार्वजनिक अवकाश है।

## 31. फॉर्म VIII का अनुबंध

प्रत्येक अनुसूचित बैंक प्रपत्र VIII विवरणी के **अनुलग्नक** के रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें (a) एसएलआर के अनुपालन के उद्देश्य से रखी गई आस्ति, (b) निर्धारित प्रारूप में आरबीआई के साथ उनके द्वारा रखे गए अतिरिक्त नकद शेष, और (c) प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का साधन।

## 32. फॉर्म I

(i) सभी सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) को बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 24 के तहत हर महीने फॉर्म I (अनुलग्नक 4 में दिए गए विवरण के अनुसार) में एक रिटर्न जमा करना आवश्यक है, जिसमें तरल आस्तियों की स्थिति को दर्शाया गया है। उक्त धारा के तहत, महीने के दौरान प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर, उस महीने की समाप्ति के बीस दिन बाद, जिससे वह संबंधित है।
[नोट: गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में, नकद भंडार और सांविधिक तरल आस्ति की रिपोर्ट करने के लिए फॉर्म I में रिटर्न आम है।]

(ii) सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) को अनुबंध
7 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परिशिष्ट II प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, साथ ही फॉर्म I में विवरणी निम्नलिखित की स्थिति दर्शाती है -
(a) बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 24 के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक सांविधिक तरल आस्ति।
(b) वास्तव में बनाए रखा तरल आस्ति, और
(c) महीने के प्रत्येक दिन के लिए घाटे/अधिशेष की सीमा।

(iii) सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) को एसएलआर के लिए प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के सबंध में, जिसके लिए प्रारूप अनुबंध 6 में दिया गया है। प्रारूप में जानकारी केवल पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फॉर्म I में वापस करने के लिए अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। मासिक रिटर्न में संबंधित महीनों में आने वाले पखवाड़ों की जानकारी होनी चाहिए।

## 33. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित होने के लिए एनडीटीएल की गणना की यथार्थता

सांविधिक लेखापरीक्षक यह सत्यापित और प्रमाणित करेंगे कि बैंक की बहियों के अनुसार बाहरी देनदारियों की सभी मदों को बैंक द्वारा विधिवत संकलित किया गया था और वित्तीय वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली पाक्षिक/मासिक सांविधिक रिटर्न में एनडीटीएल के तहत सही ढंग से दर्शाया गया था।

**34. तरलता की दैनिक स्थिति के लिए पंजीकरण**

(i) सभी सहकारी बैंक अनुबंध VIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रजिस्टर बनाए रखेंगे, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 और 24 के तहत रखी गई नकदी आरक्षित और तरल आस्ति की दैनिक स्थिति को दर्शाया जाएगा, जिसे रखा जाएगा। प्रतिदिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक, जो हर दिन कारोबार की समाप्ति पर वैधानिक तरलता आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

## अध्याय – VIII
## दंड

### सीआरआर रखरखाव में चूक के लिए दंड

**35.** यदि किसी पखवाड़े के दौरान बैंक द्वारा धारित दैनिक नकद आरक्षित निधि (सीआरआर) इन निदेशों द्वारा या उसके अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम से कम है, तो प्रत्येक बैंक नीचे उल्लिखित दंडात्मक ब्याज के रूप में रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों और सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों से उस दिन के लिए दैनिक आधार पर निर्धारित सीआरआर का रखरखाव कमी की स्थिति में जिस राशि से वास्तव में रखी गई राशि उस दिन निर्धारित न्यूनतम से कम हो जाती है बैंक दर से तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा और यदि कमी अगले दिन जारी रहती है अगले दिन/दिनों में, दण्डात्मक ब्याज बैंक दर से ऊपर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूल किया जाएगा।

(ii) एक पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर सीआरआर के रखरखाव में कमी के मामलों में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (3) में परिकल्पित दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

(iii) यदि बैंक द्वारा रखे गए सीआरआर का दैनिक शेष निर्धारित न्यूनतम सीआरआर से कम हो जाता है तो एक सहकारी बैंक के मामले में, जो अनुसूचित सहकारी बैंक नहीं है, बैंक रिज़र्व बैंक को बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित 18 की उप-धारा (1-ए) में परिकल्पित दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iv) स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के मामले में, बैंक रिज़र्व बैंक को दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा कि बी.आर. अधिनियम, 1949 की उप-धारा (1ए) धारा 18 में परिकल्पित है, यदि बैंकों द्वारा बनाए रखे गए सीआरआर का दैनिक शेष निर्धारित न्यूनतम सीआरआर से नीचे आता है।

**36.** बैंकों को अपेक्षित सीआरआर के रखरखाव में चूक से सम्बंधित विवरण जैसे तारीख, राशि, प्रतिशत, कारण और ऐसी चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई कार्रवाई प्रस्तुत करने होंगे।

**37.** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(3ए) के प्रावधानों के तहत, बैंक दर से ऊपर पांच प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर दंडात्मक ब्याज देय हो जाता है और यदि अगले पखवाड़े के दौरान भी चूक जारी रहती है,

(i) अनुसूचित बैंक/लघु वित्त बैंक/ भुगतान बैंक का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या सचिव, जो जानबूझकर और इरादतन चूक करने वाला पक्ष है, जो पांच सौ रुपये तक जुर्माने से दंडित हो सकता है और एक और जुर्माना हो सकता है जो प्रत्येक बाद के पखवाड़े के लिए पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जाता है, जिसके दौरान चूक जारी रहता है।

(ii) रिज़र्व बैंक किसी अनुसूचित बैंक/ लघु वित्त बैंक/ भुगतान बैंक को उक्त पखवाड़े के बाद कोई नई जमा राशि प्राप्त करने से रोक सकता है, और यदि बैंक द्वारा इस खंड में विनिर्दिष्ट निषेध का अनुपालन करने में चूक की जाती है, तो प्रत्येक निदेशक और अधिकारी बैंक जो जानबूझकर और इरादतन चूक के लिए एक पक्ष है या जो लापरवाही के माध्यम से या अन्यथा इस तरह की चूक में योगदान देता है, ऐसे प्रत्येक डिफ़ॉल्ट के संबंध में जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और पहले दिन के बाद इस तरह के निषेध के उल्लंघन में प्राप्त जमा राशि को अनुसूचित बैंक द्वारा बरकरार रखा जाता है के प्रत्येक दिन के लिए आगे का जुर्माना जो पांच सौ तक हो सकता है, के साथ दंडनीय होगा।

**38.** विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता/विलंब से विवरणी प्रस्तुत करने में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(4) के प्रावधान लागू होंगे और बैंक उसमें दर्शाए गए अनुसार दंड लगाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के मामले में**,** बैंककारी विनियमन अधिनियम**,** 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 और 24 के तहत समय पर निर्धारित वैधानिक रिटर्न जमा करने में विफलता**,** बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) के प्रावधानों को आकर्षित करती है और बैंक उसमें दर्शाए गए अनुसार दंड लगाने के लिए उत्तरदायी हैं।

**39. एसएलआर रखरखाव में चूक के लिए दंड**

a) बैंक द्वारा एसएलआर की राशि को किसी भी दिन बनाए रखने में विफल होने पर, बैंक उस चूक के संबंध में रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 24 के तहत परिकल्पित दंडात्मक ब्याज है।

b) निर्धारित विवरणी समय पर जमा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 46(4) के प्रावधान लागू होंगे।

c) जहां यह देखा गया है कि अनुदेशों और बारंबार सूचित करने के बावजूद बैंक लगातार चूक कर रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 22 के तहत रिज़र्व बैंक ऐसे चूककर्ता बैंकों पर जुर्माना लगाने के अलावा, लाइसेंस प्राप्त बैंकों के मामले में लाइसेंस रद्द करने और लाइसेंस रहित बैंकों के मामले में लाइसेंस नहीं देने पर विचार करने के लिए बाध्य हो सकता है। अत: बैंकों को अपने हित में निर्धारित दरों पर सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए और रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में अति शीघ्रता करनी चाहिए।

**अस्वीकरण:** एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि उक्त मास्टर निदेश में केवल किसी मद को शामिल करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि किसी बैंकिंग संस्था द्वारा ऐसी सभी गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है।

## अध्याय - IX

## निरसन और अन्य प्रावधान

**40. <u>इन निदेशों के जारी होने के साथ, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों (बैंकों पर लागू होने की सीमा तक) में निहित अनुदेश/ दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं।</u>**

| क्रम सं | परिपत्र संख्या / मेल बॉक्स स्पष्टीकरण | दिनांक | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | डीबीओडी.सं.आरईटी.बीसी 149/सी 236(जी)-71 | 27 दिसमबर 1971 | अन्य मांग और मीयादी देयताएं (ओडीटीएल) |
| 2 | सीपीसी.बीसी.69/279 (ए)-84 | 30 अक्तूबर 1984 | एसएलआर के रखरखाव पर डेटा - विशेष रिटर्न के लिए पूरक जानकारी |
| 3 | डीबीओडी.सं.एलईजी.बीसी.34/ सी.233ए-85 | 23 मार्च 1985 | मांग देयताएं, मीयादी देयताएं, ओडीटीएल |
| 4 | डीबीओडी.सं.आरईटी.बीसी.40 /सी.236(जी)एसपीएल-86 | 27 मार्च 1986 | डीआईसीजीसी से प्राप्त राशि |
| 5 | डीबीओडी.सं.आरईटी.बीसी. 98/C.96(आरईटी)-86 | 12 सितम्बर 1986 | एनडीटीएल से बहिष्करण - ईसीजीसी, बीमा कंपनी और कोर्ट रिसीवर से रसीद |
| 6 | डीबीओडी.सं.बीसी.58/12.02. 001/94-95 | 13 मई 1995 | छूट/खरीदे गए बिलों पर मार्जिन मनी |
| 7 | डीबीओडी.सं.बीसी.111/12.02 .001/97 | 13 अक्तूबर 1997 | विदेशों में बैंकों से उधार-आरक्षित रखरखाव की आवश्यकता का |
| 8 | डीबीओडी.बीसी.89/12.01.00 1/ 98-99 | 24 अगस्त 1998 | फॉर्म 'ए' में रिटर्न |
| 9 | डीबीओडी.सं.आईबीएस.बीसी. 18/23.67.001/97-98 | 04 मार्च 1998 | सोने/चांदी का आयात |
| 10 | डीबीओडी.सं.आईबीएस.बीसी. 1929/23.67.001/97-98 | 14 मार्च 1998 | सोने का आयात |
| 11 | डीबीओडी.सं.आईबीएस.बीसी 72/23.67.001/99-2000 | 21 जुलाई 1999 | निर्यात के उद्देश्य से भारत में आभूषण निर्यातक को विदेश से उधार लिए गए सोने के तहत देयतायों पर सीआरआर और एसएलआर का रखरखाव |
| 12 | डीबीओडी.सं.आईबीएस.बीसी | 21 जुलाई | अधिसूचना |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 73/23.67.001/99-2000 | 1999 | |
| 13 | डीबीओडी.सं.आईबीएस.बीसी 67/23.67.001/2000-01 | 11 जनवरी 2001 | स्वर्ण ऋण - आरक्षित आवश्यकता उद्देश्य के लिए रूपांतरण के लिए आनुमानिक दर |
| 14 | डीबीओडी.सं.बीसी.50/12.01.001/2000-01 | 07 नवंबर 2000 | अनुबंध ए और बी में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से डेटा का संग्रह |
| 15 | डीबीओडी.सं.बीसी.82/12.01.001/2001-2002 | 26 मार्च 2002 | सीआरआर-एसीयू डॉलर फंड का रखरखाव-छूट |
| 16 | डीबीओडी.सं.बीसी.87/12.02.001/2001-2002 | 10 अप्रैल 2002 | एसएलआर के प्रयोजन के लिए प्रतिभूतियों का मूल्यांकन |
| 17 | डीबीओडी.आईबीएस.बीसी.88/23.13.004/2002-03 | 27 मार्च 2003 | विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में अपतटीय बैंकिंग इकाइयां (ओबीयू) |
| 18 | आरपीसीडी.पीएलएफएस.बीसी .सं.2/05.02.02 (आरजी)/2003-04 | 03 जुलाई 2003 | ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीनीकरण/विस्तार के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना |
| 19 | डीबीओडी. सं. आरईटी.बीसी. 14/12.01.001/2003-04 | 21 अगस्त 2003 | प्रतिनिधि सुविधाओं के लिए संवाददाता बैंकों के साथ व्यवस्था |
| 20 | डीबीओडी.बीपी.बीसी .57/21.01.002/2005-2006 | 25 जनवरी 2006 | पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए बैंकों के पूंजी जुटाने के विकल्पों में वृद्धि |
| 21 | आरपीसीडी.एसपी.बीसी.सं.06/09.01.01/2006-07 | 07 जुलाई 2006 | स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना |
| 22 | भारिबैं/2006-2007/106 | 08 अगस्त 2006 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) |
| 23 | डीबीओडी. सं. आरईटी.बीसी .82/12.01.001/2006-07 | 20 अप्रैल 2007 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 24 | डीबीओडी. सं. आरईटी.बीसी .36/12.02.001/2009-10 | 01 सितंबर 2009 | एसएलआर का रखरखाव |
| 25 | डीबीओडी. सं. आरईटी.बीसी 57/12.01.001/2009-10 | 05 नवंबर 2009 | छूट प्राप्त श्रेणियों पर सीआरआर का रखरखाव |
| 26 | मेल बॉक्स स्पष्टीकरण | 30 नवंबर 2010 | बचत बैंक जमाराशियों का मांग और मीयादी भागों में विभाजन |
| 27 | डीबीओडी. सं. आरईटी.बीसी | 09 मई 2011 | एसएलआर का रखरखाव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | .91/12.02.001/2010-11 | | |
| 28 | डीबीओडी. सं. आरईटी.बीसी 113/12.01.001/2011-12 | 29 जून 2012 | आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42- विदेशी मुद्रा (अनिवासी) [एफसीएनआर (बी)] योजना पर सीआरआर का रखरखाव |
| 29 | मेल बॉक्स स्पष्टीकरण | 17 अगस्त 2012 | एफसीएनआर (बी) योजना पर सीआरआर का रखरखाव |
| 30 | डीबीओडी. सं. आरईटी.बीसी .76/12.01.001/2012-13 | 29 जनवरी 2013 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-आरक्षित नकदी निधि अनुपात का रखरखाव |
| 31 | मेल बॉक्स स्पष्टीकरण | 25 अप्रैल 2013 | सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव के लिए एनडीटीएल में उपार्जित ब्याज को शामिल करना |
| 32 | डीबीओडी. सं. आरईटी.बीसी .33/ 12.02.001/2013-14 | 17 जुलाई 2013 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - एसएलआर-सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का रखरखाव |
| 33 | डीबीओडी. सं. आरईटी.बीसी 55/12.01.001/2013-14 | 20 सितंबर 2013 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1)-दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि रखरखाव आवश्यकता में परिवर्तन |
| 34 | डीबीओडी. सं. आरईटी.बीसी 93/12.01.001/2013-14 | 31 जनवरी 2014 | आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 24 - एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमाराशियां - सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव से छूट और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए एएनबीसी से छूट |
| 35 | डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं. 25/08.12.014/2014-15 | 15 जुलाई 2014 | बैंकों द्वारा दीर्घावधि बांड जारी करना - अवसंरचना और किफायती आवास का वित्तपोषण |
| 36 | डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 52/21.04.098/2014-15 | 28 नवंबर 2014 | चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपकरण और एलसीआर प्रकटीकरण मानक |
| 37 | डीबीआर.आरईटी.बीसी. 70/12.02.001/2014-15 | 03 फरवरी 2015 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - एसएलआर का रखरखाव |
| 38 | डीबीआर.सं.आरईटी.बीसी. 64/12.01.001/2015-16 | 10 दिसंबर 2015 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 और धारा 56 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | डीबीआर.सं.आरईटी.बीसी. 91/12.01.001/2015-16 | 05 अप्रैल, 2016 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - दैनिक न्यूनतम नकद आरक्षित निधि रखरखाव आवश्यकता में परिवर्तन |
| 40 | डीबीआर.सं.आरईटी.बीसी.10/ 12.02.001/2018-19 | 05 दिसंबर, 2018 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 और धारा 56 - सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव |
| 41 | डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.30/ 12.01.001/2019-20 | 10 फरवरी, 2020 | विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण को प्रोत्साहित करना - सीआरआर रखरखाव से छूट |
| 42 | डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.38/ 12.01.001/2019-20 | 26 फरवरी, 2020 | जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में निवेश - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग |
| 43 | डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.49/ 12.01.001/2019-20 | 27 मार्च, 2020 | नकद आरक्षण अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 44 | डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.51/ 12.01.001/2019-20 | 27 मार्च, 2020 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - दैनिक न्यूनतम नकद आरक्षण रखरखाव आवश्यकता में परिवर्तन |
| 45 | डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.52/ 12.01.001/2019-20 | 27 मार्च, 2020 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) |
| 46 | डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.78/ 12.01.001/2019-20 | 26 जून, 2020 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - नकद आरक्षण आवश्यकता के न्यूनतम दैनिक रखरखाव में परिवर्तन |
| 47 | डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.77/ 12.02.001/2019-20 | 26 जून, 2020 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) |
| 48 | डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.37/ 12.01.001/2020-21 | 05 फरवरी, 2021 | एमएसएमई उद्यमियों को ऋण |
| 49 | डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.36/ 12.01.001/2020-21 | 05 फरवरी, 2021 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का विस्तार |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50 | डीओआर.सं.आरईटी.बीसी.35/12.01.001/2020-21 | 05 फरवरी, 2021 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 51 | डीओआर.आरईटी.आरईसी.09/12.01.001/2021-22 | 05 मई, 2021 | एमएसएमई उद्यमियों को ऋण |
| 52 | डीओआर.आरईटी.आरईसी.36/12.01.001/2021-22 | 09 अगस्त, 2021 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - छूट का विस्तार |
| 53 | डीओआर.आरईटी.आरईसी.73/12.01.001/2021-22 | 10 दिसंबर, 2021 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) - सामान्य व्यवस्था में वापसी |
| 54. | डीओआर.आरईटी.आरईसी.15/12.01.001/2022-23 | 08 अप्रैल 2022 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 और धारा 56 - वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव |
| 55. | डीओआर.आरईटी.आरईसी.33/12.01.001/2022-23 | 04 मई 2022 | नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 56. | डीओआर.आरईटी.आरईसी.54/12.01.001/2022-23 | 06 जुलाई 2022 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24 - एफसीएनआर (बी)/एनआरई सावधि जमा - सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव से छूट |
| 57. | डीओआर.आरईटी.आरईसी.79/12.01.001/2022-23 | 13 अक्तूबर 2022 | नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त दावे - नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)/वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 58. | डीओआर.आरईटी.आरईसी.43/12.01.001/2023-24 | 16 अक्तूबर 2023 | प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग |
| 59. | डीओआर.आरईटीसी.59/12.01.001/2023-24 | 22 दिसम्बर 2023 | प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन - फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिपोर्टिंग |
| 60. | डीओआर.आरईटीआरईसी.52/12.01.001/2024-25 | 06 दिसम्बर 2024 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |

(यूबीडी/डीसीबीआर परिपत्र)

| क्रम सं | परिपत्र संख्या | दिनांक | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | एसीडी.बीआर.474/ए.12(24)/67-8 | 27 सितंबर 1967 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (सहकारी समितियों पर यथालागू) - चल संपत्तियों का रखरखाव |
| 2 | एसीडी.बीआर.464/ए.12(24)/68-9 | 12 नवंबर 1968 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (सहकारी समितियों पर यथालागू) - आस्तियों के प्रतिशत का रखरखाव |
| 3 | एसीडी.बीआर.1196/बी-1-68/9 | 12 अप्रैल 1969 | बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 |
| 4 | एसीडी.बीआर.1005/बी.1/70-71 | 02 अप्रैल 1971 | बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 |
| 5 | एसीडी.बीआरएल.612/सी/71-2 | 24 जनवरी 1972 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) की धारा 18 और 24 के तहत बनाए गए आरक्षित नकदी और तरल आस्ति की दैनिक स्थिति को दर्शाने वाला रजिस्टर - प्राथमिक सहकारी बैंक |
| 6 | एसीडी.बीआर.277/बी.1-74-5 | 30 सितंबर 1974 | बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 - नियम 5 और 9 में संशोधन और इसके तहत निर्धारित विवरणियों के फॉर्म I और VII में परिवर्तन |
| 7 | यूबीडी. बीआर. 498/ए.12(24) -84/85 | 08 जनवरी 1985 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) - धारा 24 - प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में निवेश |
| 8 | यूबीडी. बीआर. 871/ए.12(24)-84/85 | 10 मई 1985 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) - धारा 24 - राष्ट्रीय जमा योजना के तहत किया गया निवेश |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | यूबीडी. सं. बीआर. 1455/ए12(24)-85/86 | 31 मई 1986 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) - धारा 24 - यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी इकाइयों में निवेश |
| 10 | यूबीडी. सं. बीआर. 35/ए12(24)-86/87 | 18 अक्तूबर 1986 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) - धारा 18 और 24 - मांग और मीयादी देयताओं की गणना (डीटीएल) |
| 11 | यूबीडी.(एसयूबी) बीआर. 12/16.26.00/97-98 | 20 जून 1988 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 24 के तहत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव |
| 12 | यूबीडी. सं. बीआर. 229/ए-9-88/89 | 09 सितंबर 1988 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में चुनिंदा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करना |
| 13 | यूबीडी.आरबीएल.315/ आई-88/89 | 10 अक्तूबर 1988 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना |
| 14 | यूबीडी.सं. आरबीएल. 835/I.88/89 | 27 मार्च 1989 | शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित स्थिति का अनुदान - नकद आरक्षित और तरल संपत्तियों की गणना के साथ-साथ विभिन्न सांविधिक विवरणी जमा करना |
| 15 | यूबीडी. बीआर. 50/ए.12(24)-89/90 | 18 जनवरी 1990 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 – सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजन के लिए पात्र प्रतिभूतियाँ - सरदार सरोवल नर्मदा निगम लिमिटेड के पास किसान विकास पत्र और सावधि जमा। |
| 16 | यूबीडी. बीआर.19/ए.6-89/90 | 10 मार्च 1990 | रिज़र्व आवश्यकता के लिए नेटिंग कॉन्सेप्ट - डीलिंग्स विद डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफएचआई) |
| 17 | यूबीडी. सं बीआर. 103/ए-9-90/91 | 22 अगस्त 1990 | अधिसूचना |
| 18 | यूबीडी. सं बीआर. 194/ए.9-90/91 | 28 अगस्त 1990 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के तहत न्यूनतम औसत शेष का रखरखाव |
| 19 | यूबीडी. सं बीआर. 107/ए.9-90/91 | 24 दिसंबर 1990 | अधिसूचना |
| 20 | यूबीडी. बीआर. 400/ए.9-90-91 | 24 दिसंबर 1990 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के तहत न्यूनतम औसत शेष का रखरखाव |
| 21 | यूबीडी. बीआर. 581/ए.9-90/91 | 04 मार्च 1991 | भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियम, 1951 - राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह ऋण लेखा योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों का वर्गीकरण प्रपत्र 'बी' में |
| 22 | यूबीडी.सं. बीआर. 762/ए-9/90-91 | 29 मई 1991 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 23 | यूबीडी.बीआर.349/ए.9-91/92 | 08 नवंबर 1991 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 24 | यूबीडी.सं. बीआर. 773/ए.9-91/92 | 05 मई 1992 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | यूबीडी.सं.आरबीएल.125/आई/91-92 | 03 जून 1992 | अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के तहत विवरणी पर स्पष्टीकरण |
| 26 | यूबीडी.सं. बीआर. 86/A.9/92/93 | 09 अक्तूबर 1992 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 27 | यूबीडी.सं. बीआर. 72/ए.12(24)/92/93 | 12 मई 1993 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 18 और 24 के तहत आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक तरल आस्तियों का रखरखाव - चूक के लिए दंडात्मक ब्याज की वसूली |
| 28 | यूबीडी.सं. बीआर. 48, 49/16.11.00/93-94 | 14 जुलाई 1993 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रपत्र 'बी' में विवरणी - जमाराशियों को आरक्षित आवश्यकताओं के रखरखाव से छूट प्राप्त श्रेणियां |
| 29 | यूबीडी.सं.155/ 16.26.00/93-94 | 25 जनवरी 1994 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24 (सहकारी समितियों पर यथालागू) – दंड |
| 30 | यूबीडी.सं.परि.(एसयूसी) सं.158/16.26.00/93-94 | 08 फरवरी 1994 | बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू) की धारा 24 के तहत तरल संपत्ति का रखरखाव - फॉर्म I में रिटर्न के साथ दैनिक स्थिति जमा करना |
| 31 | यूबीडी.परि. (पीसीबी)सं.53/16.26.00/93-94 | 08 फरवरी 1994 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) की धारा 18 और 24 के तहत आरक्षित नकद और सांविधिक तरल आस्ति का रखरखाव - फॉर्म I में विवरणी के साथ दैनिक स्थिति जमा करना |
| 32 | यूबीडी.बीआर. 44/16.26.00/94-95 | 22 जुलाई 1994 | आरक्षित नकदी अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात का रखरखाव |
| 33 | यूबीडी.सं. बीआर. 2/16.26.00/94-95 | 24 नवंबर 1994 | सरकारी स्टॉक 2002 की नीलामी, जिसके लिए किश्तों में भुगतान किया जाता है |
| 34 | यूबीडी.बीआर. 3/16.26.4/94-95 | 13 दिसंबर 1994 | अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक नकद शेष राशि |
| 35 | यूबीडी.बीआर. 379/16.11.00/94-95 | 13 दिसंबर 1994 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रपत्र 'बी' में विवरणी - जमाराशियों की श्रेणियों को आरक्षित आवश्यकताओं के रखरखाव से छूट |
| 36 | यूबीडी.सं. बीआर. 122/16.11.00/94-95 | 31 दिसंबर 1994 | अधिसूचना |
| 37 | यूबीडी.सं. बीआर. 35/16.04.00/94-95 | 31 दिसंबर 1994 | रिज़र्व आवश्यकताओं के लिए नेटिंग अवधारणा - भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीआई) के साथ व्यवहार |
| 38 | यूबीडी.सं. सीओ. (बीआर).5/16.26.00/94-95 | 28 मार्च 1995 | अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक नकद शेष राशि |
| 39 | यूबीडी.सं.परि.63/16.26.00/94-95 | 16 जून 1995 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) - धारा 24 - प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | यूबीडी.सं. सीओ. (बीआर). 3/ 16.05.00/95-96 | 29 सितंबर 1995 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) - दैनिक आधार पर न्यूनतम 85 प्रतिशत के स्तर का रखरखाव |
| 41 | यूबीडी.सं. बीआर. .एडी.1/16.11.00/95-96 | 02 नवंबर 1995 | अनिवासी (गैर-प्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) योजना पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) |
| 42 | यूबीडी.सं. बीआर. .एसयूबी.2/16.11.00/95-96 | 02 नवंबर 1995 | अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात |
| 43 | यूबीडी.सं. बीआर. /130/16.11.00/95-96 | 02 नवंबर 1995 | अधिसूचना |
| 44 | यूबीडी.सं. बीआर. 131/16.11.00/95-96 | 02 नवंबर 1995 | अधिसूचना |
| 45 | यूबीडी.सं. बीआर. /एडी/2/16.11.00/95-96 | 11 नवंबर 1995 | विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात |
| 46 | यूबीडी.सं. बीआर. .132/16.11.00/95-96 | 11 नवंबर 1995 | अधिसूचना |
| 47 | यूबीडी.सं. बीआर.एडी - 4/16.11.00/95-96 | 06 दिसंबर 1995 | विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (बैंकों) एफसीएनआर (बी) योजना पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात |
| 48 | यूबीडी.सं. बीआर. .134/16.11.00/95-96 | 06 दिसंबर 1995 | अधिसूचना |
| 49 | यूबीडी.सं. बीआर. .सीआईआर.33/16.26.00/95-96 | 03 जनवरी 1996 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) धारा 24 - प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश |
| 50 | यूबीडी.सं. बीआर. .एडी-5/16.11.00/95-96 | 03 जनवरी 1996 | अनिवासी (गैर-प्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) योजना और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (बैंकों) एफसीएनआर (बी) योजना पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) |
| 51 | यूबीडी.सं. बीआर. .137/16.11.00/95-96 | 06 जनवरी 1996 | अधिसूचना |
| 52 | यूबीडी.सं. बीआर. 136/16.11.00/95-96 | 06 जनवरी 1996 | अधिसूचना |
| 53 | यूबीडी.सं. बीआर. एसयूबी.5/16.11.00/95-96 | 03 अप्रैल 1996 | अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात |
| 54 | यूबीडी.सं. बीआर. 139/16.11.00/95-96 | 03 अप्रैल 1996 | अधिसूचना |
| 55 | यूबीडी.सं. बीआर. .70/16.04.00/95-96 | 29 जून 1996 | आरक्षित आवश्यकताओं के लिए नेटिंग अवधारणा - प्राथमिक डीलरों के साथ व्यवहार |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | यूबीडी.सं. बीआर. .एडी/18/16.11.00/96-97 | 15 अप्रैल 1997 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1ए) - विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (बैंकों) पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) [(एफसीएनआर) (बी)] योजना, अनिवासी (गैर-प्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) योजना और अनिवासी (बाहरी) रुपया खाते (एनआरई खाते) योजना |
| 57 | यूबीडी.सं. बीआर. /142/16.11.00/96-97 | 15 अप्रैल 1997 | अधिसूचना |
| 58 | यूबीडी.सं. बीआर. पीसीबी.सीआईआर.53/ 16.11.00/96-97 | 15 अप्रैल 1997 | सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कमियों पर दंडात्मक ब्याज दर |
| 59 | यूबीडी.सं. बीआर. एसयुबी.12/16.11.00/96-97 | 15 अप्रैल 1997 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताओं पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात में परिवर्तन |
| 60 | यूबीडी.सं. बीआर. 145/16.11.00/96-97 | 15 अप्रैल 1997 | अधिसूचना |
| 61 | यूबीडी.सं. बीआर. एसयुबी.10/16.11.00/96-97 | 15 अप्रैल 1997 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1ए) - अनिवासी (बाहरी) रुपया खाते (एनआरई खाते) योजना पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) |
| 62 | यूबीडी.सं. बीआर. /143/16.11.00/96-97 | 15 अप्रैल 1997 | अधिसूचना |
| 63 | यूबीडी.सं. बीआर. 16/16.04.00/97-98 | 06 नवंबर 1997 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 – आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 64 | यूबीडी.सं. बीआर. पीसीबी.सीआईआर.17/ 16.11.00/97-98 | 06 नवंबर 1997 | सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कमियों पर दंडात्मक ब्याज दर |
| 65 | यूबीडी.सं. बीआर. एसयुबी.18/16.11.00/97-98 | 02 दिसंबर 1997 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) - अनिवासी (बाहरी) रुपया खाते (एनआरई) खाता योजना पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) |
| 66 | यूबीडी.सं. बीआर. 147/16.11.00/97-98 | 02 दिसंबर 1997 | अधिसूचना |
| 67 | यूबीडी.सं. बीआर. एडी.4/16.11.00/97-98 | 02 दिसंबर 1997 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (ए) - विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (बैंकों) पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) [एफसीएनआर (बी)] योजना, अनिवासी (गैर-प्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा ( एनआरएनआर) योजना और अनिवासी (बाहरी) रुपया खाते (एनआरई खाते) योजना |
| 68 | यूबीडी.बीआर. 146/16.11.00/97-98 | 02 दिसंबर 1997 | अधिसूचना |
| 69 | यूबीडी.सं. बीआर. पीसीबी.सीआईआर.36/ 16.11.00/97-98 | 16 जनवरी 1998 | सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कमियों पर दंडात्मक ब्याज दर |
| 70 | यूबीडी.सं. 44/ 16.24.00/97-98 | 18 मार्च 1998 | सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कमियों पर दंडात्मक ब्याज दर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71 | यूबीडी.सं. बीआर. पीसीबी.सीआईआर.51/ 16.26.00/97-98 | 11 अप्रैल 1998 | सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कमियों पर दंडात्मक ब्याज दर |
| 72 | यूबीडी.सं. बीआर. पीसीबी.सीआईआर.52/ 16.26.00/97-98 | 29 अप्रैल 1998 | सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कमियों पर दंडात्मक ब्याज दर |
| 73 | यूबीडी.सं. बीआर. (सीआईआर) बीआर. 60/16.26.00/97-98 | 25 मई 1998 | धारा 18 और 24 बी.आर. अधिनियम, 1949 (एएसीएस) – आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधि चलनिधि अनुपात का रखरखाव और फॉर्म I में रिटर्न जमा करना |
| 74 | यूबीडी.सं. बीआर. पीसीबी.सीआईआर.21/ 16.26.00/98-99 | 01 मार्च 1999 | सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव में कमियों पर दंडात्मक ब्याज दर |
| 75 | यूबीडी.सं. .बीएसडी. I.28/12.05.01/98-99 | 23 अप्रैल 1999 | अंतर-शाखा खाते - पुरानी बकाया क्रेडिट प्रविष्टियां |
| 76 | यूबीडी.सं. बीआर. 13A/16.11.00/99-2000 | 29 अक्तूबर 1999 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) |
| 77 | यूबीडी.सं. बीआर. 4/16.11.00/99-2000 | 29 अक्तूबर 1999 | अधिसूचना |
| 78 | यूबीडी.सं. .3/16.11.000/99-2000 | 29 अक्तूबर 1999 | अधिसूचना |
| 79 | यूबीडी.सं.सीओ.बीआर.. 6/16.26.00/99-2000 | 27 अप्रैल 2000 | अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक नकद शेष राशि |
| 80 | यूबीडी.सं. बीआर. सीआईआर /42/16.26.00/2000-01 | 19 अप्रैल 2001 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) - धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश |
| 81 | यूबीडी.सं. बीआर. 06/16.04.00/2000-2001 | 19 अप्रैल 2001 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात का रखरखाव |
| 82 | यूबीडी.सं. बीआर. 6/16.26-00/2000-2001 | 09 अगस्त 2001 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश |
| 83 | यूबीडी.बीआर. सीआईआर.6/16.11.00 /2001-02 | 22 अक्तूबर 2001 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(एल) - अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 84 | यूबीडी.बीआर. सीआईआर. 19/16.26.00/2001-02 | 22 अक्तूबर 2001 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश |
| 85 | यूबीडी.बीआर. सीआईआर. 11/16.11.00/2001-02 | 29 अप्रैल 2002 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86 | यूबीडी.बीआर. 17/16.11.00/2001-02 | 29 अप्रैल 2002 | अधिसूचना |
| 87 | यूबीडी.बीआर. सं सीआईआर. 12/16.11.00/2001-02 | 20 मई 2002 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 88 | यूबीडी. सं बीआर. 18/16.11.00/2001/02 | 20 मई 2002 | अधिसूचना |
| 89 | यूबीडी. सं बीआर. 7/16.11.00/2002-03 | 12 दिसंबर 2002 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - मासिक आधार पर पात्र सीआरआर शेष पर ब्याज का भुगतान |
| 90 | यूबीडी. सं बीपी. सीआईआर.10/16.11.00/2002-03 | 29 अप्रैल 2003 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 91 | यूबीडी. सं बीपी. 23/16.11.00.2002-03 | 29 अप्रैल 2003 | अधिसूचना |
| 92 | यूबीडी(पीसीबी).परि.सं.31/16.26.00/2005-06 | 17 फरवरी 2006 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश - धारा 24ए के तहत छूट |
| 93 | यूबीडी(पीसीबी).परि.सं.59/16.26.000/2005-2006 | 22 जून 2006 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 94 | यूबीडी(पीसीबी).सं.13275/16.26.000//2005-2006 | 22 जून 2006 | अधिसूचना |
| 95 | यूबीडी(पीसीबी).परि.सं.60/16.26.000/2005-2006 | 22 जून 2006 | छूट प्राप्त श्रेणियों पर सीआरआर का रखरखाव |
| 96 | यूबीडी(पीसीबी).सं 13276/16.26.000/2005-2006 | 22 जून 2006 | अधिसूचना |
| 97 | यूबीडी(पीसीबी).परि.सं.6/16.26.000/2006-2007 | 16 अगस्त 2006 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 98 | यूबीडी(पीसीबी).परि.सं.22/16.26.000/2006-2007 | 11 दिसंबर 2006 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 99 | यूबीडी(पीसीबी).सं 22/16.26.000/2006-2007 | 11 दिसंबर 2006 | सीआरआर पर अधिसूचना |
| 100 | यूबीडी(पीसीबी).सं.2/12.03.000/2006-07 | 14 फरवरी 2007 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 101 | यूबीडी(पीसीबी).सं.2/12.03.000/2006-07 | 14 फरवरी 2007 | सीआरआर पर अधिसूचना |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | यूबीडी(पीसीबी).सीआई आर.No.4/12.03.000/ 2006-07 | 01 मार्च 2007 | छूट प्राप्त श्रेणियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 103 | यूबीडी(पीसीबी).सं./4/12 .03.000/2006-07 | 01 मार्च 2007 | छूट प्राप्त श्रेणियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव पर अधिसूचना |
| 104 | यूबीडी(पीसीबी).सं.3/12. 03.000/2006-07 | 01 मार्च 2007 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 105 | यूबीडी(पीसीबी).सं.3/12. 03.000/2006-07 | 01 मार्च 2007 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 106 | यूबीडी(पीसीबी).सं./5/12 .03.000/2006-07 | 05 अप्रैल 2007 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 107 | यूबीडी(पीसीबी).सं../5/1 2.03.000/2006-07 | 05 अप्रैल 2007 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 108 | यूबीडी(पीसीबी).सीआई आर.सं./6/12.03.000/2 006-07 | 25 अप्रैल 2007 | छूट प्राप्त श्रेणियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 109 | यूबीडी(पीसीबी).सं./7/12 .03.000/2006-07 | 25 अप्रैल 2007 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 110 | यूबीडी(पीसीबी).सं.9/12. 03.000/2007-08 | 31 जुलाई 2007 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 111 | यूबीडी(पीसीबी).सं.9/12. 03.000/2007-08 | 31 जुलाई 2007 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 112 | यूबीडी(पीसीबी).सं./3/12 .03.000/2007-08 | 11 नवंबर 2007 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 113 | यूबीडी(पीसीबी).सं../10/ 12.03.000/2007-08 | 11 नवंबर 2007 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 114 | यूबीडी(पीसीबी).सं../4/1 2.03.000/2007-08 | 22 अप्रैल 2008 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 115 | यूबीडी(पीसीबी).सं./11/1 2.03.000/2007-08 | 22 अप्रैल 2008 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 116 | यूबीडी(पीसीबी).सं../5/1 2.03.000/2007-08 | 30 अप्रैल 2008 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 117 | यूबीडी(पीसीबी).सं./12/1 2.03.000/2007-08 | 30 अप्रैल 2008 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 118 | यूबीडी(पीसीबी).सं./6/12 .03.000/2007-08 | 26 जून 2008 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 119 | यूबीडी(पीसीबी).सं./13/1 2.03.000/2007-08 | 26 जून 2008 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 120 | यूबीडी. बीपीडी (पीसीबी)परि.सं.3/12.05 | 11 जुलाई 2008 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास शहरी सहकारी बैंकों द्वारा धारित शेष - सीआरआर/एसएलआर प्रयोजन के लिए |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | .001/2008-09 | | उपचार |
| 121 | यूबीडी(पीसीबी).सं./1/12.03.000/2008-09 | 31 जुलाई 2008 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 122 | यूबीडी(पीसीबी).सं./1/12.03.000/2008-09 | 31 जुलाई 2008 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 123 | यूबीडी.सीओ.बीपीडी.(पीसीबी).No.20/12.05.001/2008-09 | 30 सितंबर 2008 | डीसीसीबी/एससीबी के साथ जमाराशियों का एसएलआर के रूप में व्यवहार |
| 124 | यूबीडी(पीसीबी).सं./4/12.03.000/2008-09 | 07 अक्तूबर 2008 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 125 | यूबीडी(पीसीबी).सं./2/12.03.000/2008-09 | 07 अक्तूबर 2008 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 126 | यूबीडी(पीसीबी).सं./5/12.03.000/2008-09 | 10 अक्तूबर 2008 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 127 | यूबीडी(पीसीबी).सं./3/12.03.000/2008-09 | 10 अक्तूबर 2008 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 128 | यूबीडी(पीसीबी).सं./7/12.03.000/2008-09 | 16 अक्तूबर 2008 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 129 | यूबीडी(पीसीबी).सं./6/12.03.000/2008-09 | 16 अक्तूबर 2008 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 130 | यूबीडी(पीसीबी).सं.बीपीडी.परि.सं.28/16.26.000/2008-09 | 26 नवंबर 2008 | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश |
| 131 | यूबीडी(पीसीबी)10/16.26.000/2008-2009 | 26 नवंबर 2008 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) पर अधिसूचना - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश - धारा 24ए के तहत छूट |
| 132 | यूबीडी(पीसीबी).सं./9/12.03.000/2008-09 | 05 जनवरी 2009 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 133 | यूबीडी(पीसीबी).सं./12/12.03.000/2008-09 | 05 जनवरी 2009 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 134 | यूबीडी(पीसीबी).परि.सं..37/16.26.000/2008-09 | 21 जनवरी 2009 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकार और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश - धारा 24ए के तहत छूट |
| 135 | यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी)..परि.सं.41/12.05.001/2008-09 | 29 जनवरी 2009 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास शहरी सहकारी बैंकों द्वारा धारित शेष - सीआरआर/एसएलआर प्रयोजन के लिए उपचार |
| 136 | यूबीडी. (पीसीबी).परि.सं.1/12.03.003/2009-10 | 09 नवंबर 2009 | छूट प्राप्त श्रेणियों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 137 | यूबीडी(पीसीबी).सं./1/12.03.000/2009-10 | 01 फरवरी 2010 | यूसीबी - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 138 | यूबीडी(पीसीबी).सं./2/12.03.000/2009-10 | 01 फरवरी 2010 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 139 | यूबीडी(पीसीबी).सं./3/12.03.000/2009-10 | 21 अप्रैल 2010 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 140 | यूबीडी(पीसीबी).सं../2/12.03.000/2009-10 | 21 अप्रैल 2010 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 141 | यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी).सं.परि.2/12.03.000/2011-12 | 25 जनवरी 2012 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 142 | यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी).सं.परि.6/12.03.000/2011-12 | 25 जनवरी 2012 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 143 | यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी).सं.परि.सं.3/12.03.000/2011-12 | 09 मार्च 2012 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 144 | यूबीडी.बीपीडी.(एससीबी).डीआईआर.सं7/12.03.000/2011-12 | 09 मार्च 2012 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 145 | यूबीडी.बीपीडी(एससीबी).सीआईआर.सं1/12.03.000/2012-13 | 17 सितंबर 2012 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 146 | यूबीडी.बीपीडी.(एससीबी).डीआईआर.सं2/12.03.000/2012-13 | 17 सितंबर 2012 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 147 | यूबीडी.बीपीडी.(एससीबी).सीआईआर.सं.2/12.03.000/2012-13 | 30 अक्तूबर 2012 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 148 | यूबीडी.बीपीडी.(एससीबी).सं.3/12.03.000/2012-13 | 30 अक्तूबर 2012 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 149 | यूबीडी.बीपीडी.(एससीबी).सीआईआर.सं.3/12.03.000/2012-13 | 30 जनवरी 2013 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - सीआरआर . का रखरखाव |
| 150 | यूबीडी.बीपीडी.(एससीबी).परि.सं4/12.03.000/2012-13 | 30 जनवरी 2013 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव पर अधिसूचना |
| 151 | यूबीडी.बीपीडी.(एससीबी).परि.सं1/12.03.000/2013-14 | 24 जुलाई 2013 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - दैनिक न्यूनतम नकद आरक्षित निधि रखरखाव आवश्यकता में परिवर्तन |
| 152 | यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं5/13.01.000/2013-14 | 27 अगस्त 2013 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 18 और 24 - एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमा - सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव से छूट और एबीसी से बहिष्करण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार |
| 153 | यूबीडी.बीपीडी.(एससीबी).परि.सं2/12.03.000/2013-14 | 20 सितंबर 2013 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - दैनिक न्यूनतम नकद आरक्षित निधि रखरखाव आवश्यकता में परिवर्तन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 154 | यूबीडी.बीपीडी (पीसीबी) .परि.सं68/16.26.000/2013-14 | 05 जून 2014 | बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2012 पर अधिसूचना - बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 18 और 24 में संशोधन - गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव और शहरी सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) |
| 155 | यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी) एनओटी.सं1/16.26.000/2013-14 | 05 जून 2014 | बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2012 पर अधिसूचना - बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 18 और 24 में संशोधन - गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव और शहरी सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) |
| 156 | यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी) एनओटी.सं.2/16.26.000/2013-14 | 05 जून 2014 | बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 2012 पर अधिसूचना – बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 18 और 24 में संशोधन - गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव और शहरी सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) |
| 157 | यूबीडी.बीपीडी(पीसीबी) परि.सं72/13.01.000/2013-14 | 11 जून 2014 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 18 और 24 - एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमाराशियों के लिए सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव से छूट और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारके लिए एबीसी से बहिष्करण |

(आरपीसीडी परिपत्र)

| क्र | परिपत्र का दिनांक | विषय |
|---|---|---|
| 1 | दिनांक 5 अगस्त 1983 - आरपीसीडी.सं.सीआरआरबी.403/जी.83-84 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42 (2)और भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियम, 1951 - विनियमन 6 - फॉर्म 'बी' के संशोधन (भारतीय रिजर्व बैंक को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साप्ताहिक विवरण का प्रपत्र) |
| 2 | दिनांक 17 नवंबर 1983 - आरपीसीडी.सं.सीआरआरबी 1266/जी.1-83/84 | गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को फॉर्म 'बी' में साप्ताहिक रिटर्न जमा करना |
| 3 | दिनांक 24 नवंबर 1983 - आरपीसीडी.सं.सीआरआरबी.134/जी.83-84 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 - धारा 42 (2) और भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों के विनियम, 1951 - विनियमन 6- फॉर्म बी में संशोधन (भारतीय रिजर्व बैंक को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साप्ताहिक विवरण का प्रपत्र) |
| 4 | दिनांक 18 मई 1984 का आरपीसीडी.सं.सीआरआरबी 3634/ए.20(24)-83/84 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के तहत न्यूनतम औसत दैनिक शेष राशि का रखरखाव |
| 5 | दिनांक 23 नवंबर 1984 का आरपीसीडी.सं.सीआरआरबी 985/324-84/85 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | दिनांक 11 मार्च 1985 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.367/ए.6-85 | भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियम, 1951 में संशोधन |
| 7 | दिनांक 29 सितंबर 1995 का आरपीसीडी.सं.बीसी.41/07.02.01/95-96 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) - दैनिक आधार पर 85 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर का रखरखाव |
| 8 | 10 नवंबर 1998 का आरपीसीडी.स्टेट.सं.बीसी.34/11.02.01/98-99 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) - आरआरबी के लिए फॉर्म 'ए' और अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के लिए फॉर्म 'बी' में रिटर्न |
| 9 | दिनांक 08 दिसंबर 1999 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.44/07.02.01/99-2000 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) |
| 10 | दिनांक 3 मई 2000 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.87/07.02.03/99-2000 | आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का अनुरक्षण |
| 11 | दिनांक 19 अप्रैल 2001 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.75/07.02.01/2000-01 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव - दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव आवश्यकता में छूट |
| 12 | दिनांक 31 दिसंबर 2001 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.49/07.02.05/2001-02 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 13 | दिनांक 30 जनवरी 2002 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.59/07.02.01/2001-2002 | आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42 (1) - अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों (एस एससीबी) /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 14 | दिनांक 29 अक्तूबर 2002 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.35/07.02.01/2002-03 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव - दैनिक न्यूनतम सीआरआर रखरखाव आवश्यकता में परिवर्तन |
| 15 | दिनांक 26 दिसंबर 2002 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.55/7.02.01/2002-03 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव - दैनिक न्यूनतम सीआरआर रखरखाव आवश्यकता में परिवर्तन |
| 16 | दिनांक 8 दिसंबर 2005 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.53/07.02.01/2005-06 | संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधित दायित्व के लेनदेन में सीआरआर/ एसएलआर का रखरखाव |
| 17 | दिनांक 22 जून 2006 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.93/07.02.01/2005-2006 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – सीआरआर का रखरखाव |
| 18 | दिनांक 22 जून 2006 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.94/07.02.01/2005-2006 | छूट प्राप्त श्रेणियों पर सीआरआर का रखरखाव |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | दिनांक 11 अगस्त 2006 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.17/07.02.01/2006-07 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव में चूक पर दंड |
| 20 | दिनांक 2 मार्च 2007 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.54/07.02.01/2006-07 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – सीआरआर का रखरखाव |
| 21 | दिनांक 4 अप्रैल 2007 आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.64/07.02.01/2006-07 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – सीआरआर का रखरखाव |
| 22 | दिनांक 24 अप्रैल 2007 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी 75/07.02.01/2006-07 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) – सीआरआर का रखरखाव |
| 23 | दिनांक 24 अप्रैल 2007 का आरपीसीडी.सं.आरएफ.बीसी.77/07.02.01/2006-07 | छूट प्राप्त श्रेणियों पर सीआरआर का रखरखाव |
| 24 | दिनांक 11 फरवरी 2014 का आरपीसीडी.केंका.आरआरबी/आरसीबी.बीसी.सं.83/03.05.33/2013-14 | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1)- बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 18 और 24 - एफसीएनआर (बी)/एनआरई जमा- सीआरआर/एसएलआर के रखरखाव से छूट और आरआरबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए बकाया अग्रिमों से छूट |
| 25 | दिनांक 5 जून 2014 का आरपीसीडी.आरसीबी.बीसी.सं.110/07.51.020/2013-14 | बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2012 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 18 और 24 में संशोधन - गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक/ सीसीबी के लिए और राज्य सहकारी बैंक/ सीसीबी के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव |
| 26 | दिनांक 21 जुलाई 2014 का आरपीसीडी.आरसीबी.बीसी.सं.1/07.51.020/2014-15 | बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 – बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस) की धारा 18& 24 में संशोधन - गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक और सीसीबी के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात और एसटीसीबी और सीसीबी के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव |
| 27 | दिनांक 29 जनवरी 2013 का आरपीसीडी.केंका.आरसीबी.आरआरबी.बीसी.सं.61/ 03.05.33/ 2012-13 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1)- - सीआरआर का रखरखाव |

उपरोक्त परिपत्रों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों/पावती को इन निर्देशों के तहत दिया माना जाएगा।

## संक्षिप्त नामों की सूची

| | |
|---|---|
| एसीयू | एशियन क्लियरिंग यूनियन |
| एटीएम | स्वचालित टेलर मशीन |
| बीएएफ | बैंकरों की स्वीकृति सुविधा |
| सीआरआर | आरक्षित नकदी निधि अनुपात |
| डीडी | डिमांड ड्राफ्ट |
| डीआईसीजीसी | निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम |
| डीआरडीए | जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण |
| डीटीएल | मांग और मीयादी देयताएं |
| ईसी | पात्र ऋण |
| ईसीजीसी | निर्यात ऋण गारंटी निगम |
| एक्जिम बैंक | निर्यात और आयात बैंक |
| एफ़एएलएलसीआर | चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लाभ उठाने की सुविधा |
| एफ़सीएनआर(बी) | विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता |
| जीबीपी | ग्रेट ब्रिटिश पाउंड |
| एचक्यूएलए | उच्च गुणवत्ता वाले तरल आस्ति |
| आईबीएफ़सी | अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा |
| आईबीयू | अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिट |
| आईएनआर | भारतीय रुपया |
| जेपीवाई | जापान के येन |
| एलएएफ़ | चलनिधि समायोजन सुविधा |
| एलबी | दीर्घकालिक बांड |
| एलसीआर | चलनिधि व्याप्ति अनुपात |

| | |
|---|---|
| एमएसएफ़ | सीमांत स्थाई सुविधा |
| एमटी | मेल ट्रांसफर |
| नाबार्ड | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक |
| एनएबीएफ़आईडी | राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक |
| एनसीजीटीसी | राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड |
| एनडीटीएल | निवल मांग और मीयादी देयताएं |
| एनएचबी | राष्ट्रीय आवास बैंक |
| एनआरई | अनिवासी बाह्य |
| ओबीयू | अपतटीय बैंकिंग इकाई |
| ओडीटीएल | अन्य मांग और मीयादी देयताएं |
| आरआईडीएफ़ | ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि |
| आरआरबी | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| एससीबी | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक |
| एसडीएफ़ | स्थायी जमा सुविधा |
| एसडीएल | राज्य विकास ऋण |
| सिडबी | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक |
| एसएलआर | सांविधिक चलनिधि अनुपात |
| टीटी | टेलीग्राफिक ट्रांसफर |
| यूएसडी | अमेरिकी डॉलर |

**अनुबंध - I**

**फॉर्म ए**

**(अनुसूचित बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाए जो सहकारी बैंक नहीं है)**

**शुक्रवार को कारोबार समाप्ति पर स्थिति का विवरण[1]-------**
**(निकटतम हज़ार रुपए में पूर्णांकित किया जाए)**

**बैंक का नाम:**

**I. भारत में बैंकिंग प्रणाली के लिए देयाताएं[2]**

ए) बैंकों से मांग और सावधि जमा

बी) बैंकों से उधार[3]

सी) अन्य मांग और मीयादी देयताएं [4]

**I का कुल**

**II. भारत में अन्यों के लिए देयताएं**

ए) कुल जमा (बैंकों के अलावा अन्य)

(i) मांग

(ii)सावधि

बी) उधार [5]

सी) अन्य मांग और सावधी देयताएं

**II का कुल**

**I + II का कुल**

**III. भारत के बैंकिंग प्रणाली में आस्ति**

ए) बैंकों के पास शेष राशि

(i) चालू खाते में

(ii) अन्य खातों में

बी) कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा

सी) बैंकों को अग्रिम यानी बैंकों से बकाया

डी) अन्य आस्ति

**III का कुल**

**IV. भारत में नकद (यानी, हाथ में नकदी)**

**V. भारत में निवेश (बही मूल्य पर)**

ए) केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां जिनमें ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी डिपॉजिट रसीद, ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण पत्र और डाक बाध्यताएं शामिल हैं

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

**V का कुल**

**VI. भारत में बैंक क्रेडिट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)**

ए) ऋण, नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट

बी) खरीदे गए और भुनाए गए अंतर्देशीय बिल
- (i) खरीदे गए बिल
- (ii) भुनाए गए बिल

सी) खरीदे गए और भुनाए गए विदेशी बिल
- (i) खरीदे गए बिल
- (ii) भुनाए गए बिल

**VI का कुल**

**(III+IV+V+VI) का कुल**

**ए. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के उद्देश्य से निवल देयताएं = बैंकिंग प्रणाली के निवल देयताएं + भारत में अन्यों के लिए देयाताएं अर्थात यदि (I-III) गुणात्मक है *तो* (I-III) +II या (I-III) ऋणात्मक है तो केवल II**

**बी. बचत बैंक खाता (विनियमन 7 द्वारा)**

i) भारत में मांग देयताएं
ii) भारत में सावधि देयताएं

**स्थान :**

**दिनांक:**

[1] जहां शुक्रवार एक अनुसूचित बैंक के एक या एक से अधिक कार्यालयों के लिए पराक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 (1881 के 26) के तहत एक सार्वजनिक अवकाश है, ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में विवरणी पिछले कार्य दिवस का आंकड़ा दे देंगे, लेकिन फिर भी उस शुक्रवार से संबंधित माना जाएगा ।

[2] विवरणी में जहां भी बैंकिंग प्रणाली या बैंक दिखाई देता है, वहां की अभिव्यक्ति से तात्पर्य बैंक और किसी अन्य वित्तीय संस्थान से है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के खंड डी की उप धारा (i) से (vi) तक में संदर्भित किया गया है।

[3] आरआरबी के मामले में प्रायोजक बैंक के अलावा।

[4] यदि II (सी) से अलग I (सी) का आंकड़ा प्रदान करना संभव नहीं है, तो इसे II(सी) में शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामले में, यदि कुल 1 (ए) और 1 (बी) के कुल III के कुल से अधिक है तो बैंकिंग प्रणाली के लिए निवल देयता को अतिरिक्त के रूप में तैयार किया जाएगा।

[5] भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक के अलावा अन्य।

**फार्म ए के ज्ञापन**

1. **प्रदत्त पूंजी**

1.1 आरक्षित निधि

2. **मीयादी जमा**

2.1 अल्पावधि

2.2 दीर्घावधि

**3. जमा प्रमाणपत्र**

**4. निवल मांग और मीयादी देयताएं**
**(शून्य आरक्षित पर्चे के तहत देनदारियों की कटौती के बाद, अनुलग्नक ए)**

**5. सीआरआर की वर्तमान दर के अनुसार बनाए रखने के लिए आवश्यक जमा राशि**

**6. कोई अन्य देयता जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और 42 (1 ए) के तहत आरबीआई के वर्तमान निर्देशों के अनुसार सीआरआर को रखने की आवश्यकता है।**

**7. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और 42 (1 ए) के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक कुल सीआरआर**

**अनुबंध क**

**बैंक का नाम :**

**(राशि को रूपये में निकटतम हजार तक पूर्णांकित किया जाएगा)**

| **मद** | **बही मूल्य पर बकाया** | **पुनर्मूल्यांकन मूल्य** | **ब्याज** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **वि देशी मुद्रा देयताएं** | | | |
| **भारत में अन्यों के प्रति वि देशी मुद्रा देयताएं**<br>**I. अनि वासी जमाराशि यां**<br>**(I.1+I.2+I.3+I.4)**<br>I.1 अनि वासी वि देशी रुपया खाता (एनआरई)<br>I.2 अनि वासी सामान्य जमाराशि (एनआरओ)<br>I.3 वि देशी मुद्रा अनि वासी बैंक योजना (एफसीएनआर(बी)]<br>(1.3.1+1.3.2)<br>I.3.1 अल्पावधि[1]<br>I.3.2 दीर्घावधि[2]<br>I.4 अन्य (उल्लेख करें) | | | |
| **II. वि देशी मुद्रा अन्य जमाराशि यां /योजनाएं**<br>**(II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6)**<br>II.1 वि देशी मुद्रा अर्जक की वि देशी मुद्रा<br>II.2 नि वासी वि देशी मुद्रा खाते (II.2.1+II.2.2)<br>II.2.1 निवासी विदेशी मुद्रा (पुरानी योजना)<br>II.2.2 निवासी विदेशी मुद्रा (देशी) (नई योजना)<br>II.3 भारतीय नि र्यातकों के एस्क्रो खाते<br>II.4 पोत-लदान पूर्व ऋण खाते के लि ए वि देशी ऋण व्यवस्था | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| तथा बि लों की वि देशी पुनर्भुनाई<br>II.5 एसीयू (अमेरि की डालर) खाते में जमा शेष<br>II.6 अन्य (उल्लेख करें) | | | |
| **III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति वि देशी मुद्रा देयताएं (III.1+III.2)**<br>III.1 अंतर बैंक वि देशी मुद्रा जमाराशि यां<br>III.2 अंतर बैंक वि देशी मुद्रा उधार | | | |
| **IV. वि देशी उधार[3]** | | | |
| **विदेशी मुद्रा आस्तियां**<br>**1.** भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां<br>1.1 विदेशी मुद्रा उधार<br>1.2 अन्य<br>**2. भारत में अन्यों के पास आस्तियां**<br>2.1 भारत में वि देशी मुद्रा में बैंक ऋण[4]<br>2.2 अन्य<br>**3. वि देशों में वि देशी मुद्रा आस्तियां [5]**<br>जिनमें से, शेष नोस्ट्रो खाते के नकद घटक में रखे गए हैं | | | |

| | **निकटतम हजार तक पूर्णांकित राशि (रुपये में)** |
|---|---|
| **V. विभेदक/शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन अन्यों के प्रति बाहरी देयताएं (I+II)**<br>**VI. सीआरआर के पूर्णत: निर्धारण के अधीन बाहरी देयताएं (IV)**<br>**VII. निवल अंतर-बैंक देयताएं (फॉर्म ए का I-III)**<br>**VIII. शून्य निर्धारण के दायरे के भीतर आने वाली कोई अन्य देयताएं**<br>VIII.1 टीआरईपीएस सहित सरकारी प्रतिभूतियों में मार्केट रेपो<br>VIII.2 ओबीयू<br>VIII.3 ओबीयू<br>VIII.4 ईसी या एलबी का न्यूनतम | |

| | |
|---|---|
| VIII.5 विशिष्ट क्षेत्रों में बैंक ऋण को प्रोत्साहित करना- परिपत्र दिनांक 10 फरवरी 2020<br>VIII.6 एफसीएनआर (बी) जमा - परिपत्र दिनांक 06 जुलाई 2022<br>VIII.7 एनआरई सावधि जमा - परिपत्र दिनांक 06 जुलाई 2022<br>VIII.8 जीरो प्रिस्क्रिप्शन के तहत अन्य देनदारियां<br>**IX. शून्य सीआरआर नि धारण के अधीन देयताएं (V+VII+VIII)** | |
| **ज्ञापन की मदें** | |
| **1. अंतर बैंक देयताएँ** | |
| 1.1 कुल अंतर बैंक देयताएँ | |
| 1.2 घटाएँ: मीयादी देयताएँ (परिपक्वता >= 15 दिन और एक वर्ष तक) | |
| 1.3 निवल (1.1-1.2) | |
| **2. अंतर बैंक आस्तियाँ** | |
| 2.1 कुल अंतर बैंक आस्तियाँ | |
| 2.2 घटाएँ: मीयादी आस्तियाँ (परिपक्वता >= 15 दिन और एक वर्ष तक) | |
| 2.3 निवल (2.1-2.2) | |
| **3. एसीयू डॉलर निधि** | |

1 एक वर्ष अथवा उससे कम संवि दात्मक परि पक्वता वाले

2 एक वर्ष से अधि क संवि दात्मक परि पक्वता वाले

3 रुपयों में स्वैप न कि ए गए भाग से संबंधि त

4 एफसीएनआर (बी) जमाराशि यों में से ऋण

5 i) विदेशों में धारित शेष राशियां (अर्थात् नॉस्ट्रो खाते का नकद घटक, एसीयू (अमेरिकी डालर) खाते में नामे शेष तथा एसीयू देशों के वाणिज्यिक बैंकों में जमा शेष) ii) अल्पावधि विदेशी जमाराशियां तथा पात्र प्रतिभूतियों में निवेश iii) विदेशी मुद्रा बाजार लिखतें जिनमें खजाना बिल शामिल हैं तथा iv) विदेशी शेयर और बॉण्ड सहित।

**(प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर)**

**1. (पदनाम)**

**2. (पदनाम)**

**अनुबंध ख**

बैंक का नाम:

(राशि निकटतम हजार तक पूर्णांकित रुपये में)

| मद | बही मूल्य पर बकाया | पुनर्मूल्यांकन मूल्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **I. अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (I.1+I.2)**<br><br>I.1 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश<br>(I.1.1+I.1.2= फॉर्म ए का मद V (क))<br><br>I.1.1 अल्पावधि[1]<br><br>I.1.2 दीर्घावधि[2]<br><br>I.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश<br>(1.2 = फॉर्म ए का मद V (ख))<br><br>I.3 अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (गैर-एसएलआर)<br>**II अन्य प्रतिभूतियों में निवेश**<br>(II.1+II.2+II.3+II.4)<br><br>**निम्नलिखित में निवेश:**<br><br>II.1 वाणिज्यिक पत्र<br>II.2 म्युच्युअल फंड की यूनिटें<br>II.3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर-<br><br>II.3.1 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम<br><br>II.3.2 निजी कार्पोरेट क्षेत्र<br><br>II.3.3 सरकारी वित्तीय संस्थाएं<br><br>II.3.4 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)<br><br>II.4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड/डिबेंचर/प्रतिभूति रसीदें/ पास-थ्रू-प्रमाणपत्र<br><br>II.4.1 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम<br><br>II.4.2 निजी कार्पोरेट क्षेत्र<br><br>II.4.3 सरकारी वित्तीय संस्थाएं | | |

| | | |
|---|---|---|
| II.4.4 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)<br>III प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए कमी हेतु जमाराशियाँ<br>(आरआईडीएफ, सिडबी आदि) | | |
| **ज्ञापन की मदें** | | |
| **1. प्राथमिक बाज़ार में शेयर/डिबेंचर/बांड में अभिदान**<br>**2. प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अभिदान**<br>***3. उक्त मद सं में से (I.1+I.2), उधार के लिए गिरवी रखी गई प्रतिभूतियां (ए+बी+सी+डी+ई):***<br>***ए) आरबीआई-एलएएफ रेपो/टर्म रेपो के तहत***<br>***बी) एमएसएफ के तहत***<br>***सी) एफ़एएलएलसीआर के तहत***<br>***डी) बाजार रेपो/अन्य उधार के तहत***<br>***ई) सेटलमेंट गारंटी फंड (एसजीएफ) और इसी तरह के अन्य फंडों में योगदान*** | | |

[1] एक वर्ष अथवा उससे कम संविदात्मक परिपक्वता वाले

[2] एक वर्ष से अधिक संविदात्मक परिपक्वता वाले

**(प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर)**

**1. (पदनाम)**

**2. (पदनाम)**

**अनुबंध – II**

**बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949**

**फॉर्म VIII**

(नियम 13ए)

(धारा 18 तथा 24)

(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक एवं स्थानीय क्षेत्र बैंक)

1. बैंकिंग कंपनी का नाम :

2. विवरणी प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम :

3. _____ माह के लिए भारत में मांग तथा मीयादी देयताएं तथा भारत में नकद, स्वर्ण तथा भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखी गयी राशि का विवरण:

**(संबंधित महीने की समाप्ति के बाद अधिकतम 20 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए)**

**(निकटतम हजार रुपयों तक पूर्णांकित)**

| | **निम्नलिखित दिन कारोबार की समाप्ति पर** | | |
|---|---|---|---|
| | **पहला एकांतर शुक्रवार@** | **दूसरा एकांतर शुक्रवार @** | **तीसरा एकांतर शुक्रवार@** |
| **भाग – क**<br>I. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक से लिए गए किसी भी ऋण को छोड़कर)<br>(क) मांग देयताएं<br>(i) भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक तथा तदनुरूपी नये बैंकों के चालू खातों में शेष | | | |

| | |
|---|---|
| (ii) अन्य मांग देयताएं<br>(ख) मीयादी देयताएं<br>**I का कुल जोड़**<br>II. भारत में अन्यों के प्रति देयताएँ (रिज़र्व बैंक भारतीय आयात-निर्यात बैंक तथा भारतीय कृषि एवं ग्रामीण वि कास बैंक से लिए गए उधारों को छोड़कर)<br>(ए) मांग देयताएँ<br>(बी) मीयादी देयताएँ<br>**II का कुल जोड़** | |
| III हाथ में नकदी<br>IV. रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष<br>V. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां<br>(ए) निम्नलिखित के पास चालू खाते में शेष<br>(i) भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक तथा तदनुरूपी नये बैंक<br>(ii) अन्य बैंक तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं<br>(बी) बैंकों तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं में अन्य खातों में शेष<br>(सी) मांग तथा अल्प सूचना पर प्रति देय राशि<br>(डी) बैंकों को अग्रि म (अर्थात् बैंकों से प्राप्य राशि)<br>(ई) अन्य आस्ति यां<br>**V का कुल जोड़**<br>VI. चालू खातों में निवल शेष = V(a)(i) - I (a)(i)<br>VII. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 तथा 24 के प्रयोजन के लिए निवल देयताएं = बैंकिंग प्रणाली के प्रति निवल देयताएं + अन्य मांग तथा मीयादी देयताएं =(I-V)+II यदि (I-V) **धनात्मक** आंकड़ा है | |

| | |
|---|---|
| **या**<br><br>यदि (I-V) **ऋणात्मक** आंकड़ा है तो केवल II<br><br>**भाग - ख (केवल गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए)**<br><br>VIII. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अंतर्गत आरक्षित नकदी की अपेक्षित न्यूनतम राशि (रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार VII का कुछ प्रति शत)<br><br>IX . वास्तव में रखी गई आरक्षि त नकदी =<br><br>**III, IV और VI का कुल जोड़**<br><br>**X. IX में VIII से अधि क राशि**<br><br>**भाग - ग**<br><br>XI. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत रखी जाने वाली अपेक्षित आस्तियों की न्यूनतम राशि (रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थि ति के अनुसार VII का निर्धारित प्रतिशत )<br><br>XII. (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा रखा जाने वाला अपेक्षित शेष<br><br>(ख) अनुसूचित बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक में वास्तव में रखा गया शेष<br>(ग) (ख) में (क) से अतिरिक्त राशि<br><br>XIII. वास्तव में रखी गई आस्तियां<br><br>(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11(2) के अंतर्गत भारत के बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक में जमा की गयी नकद राशि<br>(ख) हाथ में नकद राशि अथवा गैर-अनुसूचि त बैंक के मामले में, उपर्युक्त X के समक्ष दर्शाई गई (IX) में (VIII) से अधिक राशि , यदि कोई हो तो।<br>(ग) उपर्युक्त XII(ग) के समक्ष दर्शाई गई रिज़र्व बैंक के | |

| | |
|---|---|
| पास अति रि क्त शेष राशि यदि हो<br>(घ) अनुसूचि त बैंक द्वारा चालू खाते में रखा नि वल शेष = उपर्युक्त VI<br>(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक के पास मांग अथवा मीयादी जमाराशि यों में रखा शेष<br>(च) वर्तमान बाज़ार मूल्य से अनधि क मूल्य पर मूल्यांकि त स्वर्ण<br>(छ) रि ज़र्व बैंक द्वारा नि र्धारि त मूल्यांकन की पद्धति के आधार पर मूल्यांकि त भाररहि त अनुमोदि त प्रति भूति यां<br>(ज) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11(2) के तहत भारत के बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक में जमा की गई अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई मूल्यांकन पद्धति के आधार पर मूल्यांकित की गई हैं<br><br>(क) से (ज) तक का जोड़<br><br>XIV. **XIII-XI**<br>**(अतिरिक्त+, कमी-)** | |

**दिनांक** **हस्ताक्षर**

टि प्पणी : इस वि वरणी के प्रयोजन के लि ए `बैंकिंग प्रणाली' शब्द का अर्थ होगा भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक, तदनुरूपी नए बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य बैंकिंग कंपनि यां, सहकारी बैंक तथा बैंककारी वि नि यमन अधि नि यम, 1949 की धारा 18 के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधि सूचि त वि त्तीय संस्थाएं

@ तारीखें दें (जहां परक्राम्य लि खत अधि नि यम, 1881 (1881 का 26) के अंतर्गत शुक्रवार को सार्वजनि क अवकाश है वहां पूर्ववर्ती कार्य दि वस की तारीख दें)

**अनुबंध - III**

फॉर्म 'ख'

[ अनुसूचित सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु]

शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर स्थिति का विवरण @ _____

(नि कटतम हजार रुपयों तक पूर्णांकि त)

बैंक का नाम :

**I. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं ***

(क) बैंकों से प्राप्त मांग और मीयादी जमाएँ*

(i) मांग

(ii) मीयादी

(ख) बैंकों से उधार*

(ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएँ @@

**I का कुल जोड़**

**II. भारत में अन्यों के प्रति देयताएं**

(क) कुल जमा (बैंकों के अलावा* और साथ ही, राज्य सहकारी बैंक के परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत किसी सहकारी सोसाईटी द्वारा आरक्षित निधि का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी जमा राशि या उसके हिस्से के अलावा)

(i) मांग

(ii) मीयादी

(ख) उधार (भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक , राज्य सरकार और राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉर्पोरेशन, संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले का केंद्रीय सहकारी बैंक)

(ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएँ

**II का कुल जोड़**

**I + II का जोड़**

## III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति आस्तियाँ*

(क) बैंकों के पास शेष*

(i) चालू खाते में

(ii) अन्य खाते में

(ख) मांग तथा अल्प सूचना पर प्रति देय राशि

(ग) बैंकों को अग्रि म* (अर्थात् बैंकों से प्राप्य राशि यां) *

(घ) अन्य आस्ति यां

**III का जोड़**

**IV. भारत में नकदी** (अर्थात् हाथ में नकदी)

**V. भारत में निवेश** (बही मूल्य पर)

(क) ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी जमा रसीद, ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण-पत्र और डाक देयताएं सहित केंद्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ

(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

**V का जोड़**

**VI. भारत में बैंक ऋण** (अंतर-बैंक अग्रिम को छोड़कर)

(a) ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट

(b) खरीदे और भुनाए गए देशी बिल

(i) खरीदे गए बिल

(ii) भुनाए गए बिल

(ग) खरीदे और भुनाए गए विदेशी बिल

(i) खरीदे गए बिल

(ii) भुनाए गए बिल

**VI का जोड़**

**Total of III + IV + V + VI**

| | | |
|---|---|---|
| क. | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 के उद्देश्य हेतु निवल देयताएँ = बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएँ + भारत में अन्य के प्रति देयताएँ | (I - III) + II, यदि (I - III) धनात्मक है या केवल II, यदि (I - IIII) ऋणात्मक है |
| ख. | अधिनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अपेक्षित न्यूनतम जमा रखे जाने की राशि (निकटतम हजार रुपए तक पूर्णांकित) | = ` |
| ग. | बचत बैंक खाता (विनियम सं 7 द्वारा) | |
| | भारत में मांग देयताएँ | |
| | भारत में मीयादी देयताएँ | |

हस्ताक्षर/-

अधिकारियों के हस्ताक्षर

1. (पदनाम) _____

2. (पदनाम) _____

स्टेशन :

तिथि :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए उधार:

   धारा **:**

   (i) 17(2)(ए)

   (ii) 17(2) (बी) या (4) (सी)

   (iii) 17(2) (बीबी) या (4) (सी)

   (iv) 17(4) (सी)

   (v) 17(4)(ए)

   **मद (1) का जोड़**

2. निम्नलिखित से उधार

(i) निम्नलिखित धारा के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंक::

(क) 21

(ख) 22

(ग) 23

(घ) 24

(ड.) 25

(ii) भारतीय स्टेट बैंक

(iii) अन्य बैंक

(iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(v) राज्य सरकार

(vi) राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉर्पोरेशन

(vii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(viii) संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक

(ix) संबंधित जिले का केंद्रीय जिला सहकारी बैंक

**मद (2) का जोड़**

**3.** भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष

**फुटनोट**

\# अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को भी उसी प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

@ जहां शुक्रवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881(1881 का 26) के तहत अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के एक या अधिक कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश है, रिटर्न में ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में पिछले कार्य दिवस के आंकड़े दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें फिर भी उस शुक्रवार से संबंधित माना जाएगा।

* "बैंकिंग सिस्टम" या "बैंक" शब्द जहां कहीं भी रिटर्न में दिखाई देता है, का अर्थ है बैंक और कोई अन्य वित्तीय संस्थान जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (ई) के विनियम (i) से (v) में संदर्भित हैं।

@@ यदि I (c) के सामने II(c) से अलग अंक प्रदान करना संभव नहीं है, तो इसे II (c) के सामने वाले आंकड़े में शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामले में, बैंकिंग प्रणाली के प्रति निवल देयता की गणना, यदि कोई हो तो I(a) और I(b) के योग के अतिरिक्त, III के योग के रूप में की जाएगी।

---

# फॉर्म ।

**अनुलग्नक - IV**

**आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)**

**बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949**

फॉर्म - **I**

**(**नियम **5** देखें )

**[**अनुभाग **18(1)** और **24(3)]**

**[.....**पैराग्राफ द्वारा ]

गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए सीआरआर

एसएलआर - सभी प्राथमिक सहकारी बैंक (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित)

सहकारी बैंक का नाम:

विवरणी प्रस्तुत करनेवाले अधिकारी(यों) का नाम व पदनाम :

**_____ महीने के लिए भारत में मांग और मीयादी देयताओं और भारत में नकद, सोना और भाररहित प्रतिभूतियों में अनुरक्षित राशि का विवरण**

इस विवरणी में विभिन्न मदों की राशियों की गणना विवरणी के अंत में फुटनोट टिप्पणियों में दर्शाए गए समायोजनों, जहां आवश्यक हो, को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

| | | | | (निकटतम हजार रुपये तक पूर्णांकित) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **कारोबार समाप्ति पर** | | |
| | | | | **पहला वैकल्पिक शुक्रवार (दिनांक)** | **दूसरा वैकल्पिक शुक्रवार (दिनांक)** | **तीसरा वैकल्पिक शुक्रवार (दिनांक)** |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 |
| **भाग – ए** | | | | | | |
| I. | **बैंकिंग प्रणाली (£) के लिए भारत में देयताएं$** | | | | | |
| | (a) | मांग देयताएं | | | | |
| | | (i) | भारतीय स्टेट बैंक और संबंधित नए बैंकों द्वारा सहकारी बैंक में रखे गए चालू खातों में कुल जमा शेष | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (ii) बैंकिंग प्रणाली के लिए अन्य मांग देनदारियों का योग | | | |
| | (b) | बैंकिंग प्रणाली के लिए सावधि देयताएं $ | | | |
| | **I का योग** | | | | |
| II. | **भारत में अन्य X को देयताएं** | | | | |
| | (a) | मांग देयताएं | | | |
| | (b) | सावधि देयताएं | | | |
| | **II का कुल** | | | | |
| III. | **भारत में बैंकिंग प्रणाली में आस्तियां** | | | | |
| | (a) | भारतीय स्टेट बैंक और तस्थनीय नए बैंकों के चालू खातों में कुल जमा शेष (%) | | | |
| | (b) | बैंकिंग प्रणाली के साथ कुल अन्य परिसंपत्तियां, अर्थात, (i) आइटम III(ए) में शामिल के अलावा अन्य सभी खातों में शेष राशि, (ii) कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा, (iii) अग्रिम, और (iv) अन्य कोई संपत्ति । | | | |
| IV. | अधिनियम की धारा 18 और 24 के प्रयोजनों के लिए कुल (शुद्ध) मांग और मीयादी देनदारियां = (I-III) + II, यदि (I-III) एक धनात्मक अंक है, या केवल II, यदि (I-III) एक ऋणात्मक अंक है | | | | |
| V. | हाथ में नकदी (और) | | | | |
| VI. | के साथ चालू खाता में शेष | | | | |
| | (a) | भारतीय रिज़र्व बैंक ++ | | | |
| | (b) | संबंधित राज्य की राज्य सहकारी बैंक (+) | | | |
| | (c) | संबंधित जिले की जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (%) | | | |
| | **VI का कुल** | | | | |
| VII | अन्य सभी के साथ शेष | | | | |
| | (a) | राज्य की राज्य सहकारी बैंक | | | |
| | (b) | जिला केंद्रीय सहकारी बैंक | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VII का कुल** | | | | |
| VIII | चालू खातों में शुद्ध शेष, यानी I(a)(i) से अधिक III(a) से अधिक | | | | |
| **भाग – बी** | | | | **सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही** | |
| धारा 18 का अनुपालन<br>(अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर लागू नही) | | | | | |
| IX. | दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को IV का 4 प्रतिशत | } } } } } } | | | |
| X. | वास्तव में बनाए रखा आरक्षित नकदी निधि = V + VI + VIII | } | | | |
| **भाग - सी : धारा 24 का अनुपालन** :<br>(अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर लागू नही) | | } } | | | |
| XI. | दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को IV का -------- प्रतिशत (या उच्चतर निर्दिष्ट प्रतिशत) | } } } | | | |
| XII. | वास्तविक बनाई रखी आस्तियां | } | | | |
| | (a) भारत में रखी नकद और अन्य शेष राशि<br>X-IX + VII | } } } | | | |
| | (b) सोना ££ | | | | |
| | (c) भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां $$ | } } | | | |
| | **XII का कुल** | | | | |
| **भाग -डी : धारा 24 का अनुपालन** :<br>(अनुसूचित / राज्य सहकारी बैंकों के लिए लागू ) | | | | | |
| XIII | दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को IV का -------- प्रतिशत (या उच्चतर निर्दिष्ट प्रतिशत) | | | | |
| XIV | वास्तव में बनाई रखी आस्तियां | | | | |
| | (a) हाथ में नकदी | | | | |
| | (b) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 [अर्थात, VI(a)] के तहत आवश्यक शेष राशि से अधिक बनाए रखा गया शेष | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (c) | चालू खाता में शुद्ध जमा (अर्थात, VIII) | | | | |
| | (d) | सोना ££ | | | | |
| | (e) | भाररहित अनुमोदित आस्तियां $$ | | | | |
| | (f) | अन्य सभी प्रकारों के साथ जमाएं : | | | | |
| | | (i) | संबंधित राज्य की राज्य सहकारी बैंक (+) | | | |
| | | (ii) | संबंधित जिले की जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (X) | | | |

| XIV का कुल |
|---|

हस्ता. /-

हस्ताक्षर

दिनांक :

**फुटनोट**

1. अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और उक्त अधिनियम की धारा 18 और 24 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) की धारा 24 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को इस फॉर्म में रिटर्न जमा किया जाना है। अन्य "सहकारी बैंकों" द्वारा 15 दिनों के भीतर उन महीनों के अंत में, जिनसे वह संबंधित है।

2. यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के तहत एक वैकल्पिक शुक्रवार की छुट्टी है, तो पिछले कार्य दिवस पर कारोबार की समाप्ति के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं।

£. इस विवरणी के प्रयोजनों के लिए, "भारत में देयताओं" में शामिल नहीं होगा।

(i) सहकारी बैंक के लाभ और हानि खाते में चुकता पूंजी या भंडार या कोई जमा शेष -

(ii) राज्य सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में, इसके साथ किसी भी अन्य सहकारी समिति द्वारा इसके संचालन के क्षेत्र में आरक्षित निधि या उसके किसी भी हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी जमा राशि। ;

(iii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में, संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक से लिया गया कोई अग्रिम;

(iv) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से लिया गया कोई अग्रिम;

(v) स्वीकृत प्रतिभूतियों पर किसी सहकारी बैंक द्वारा ली गई और ली गई अग्रिम या अन्य ऋण व्यवस्था की राशि;

(vi) किसी सहकारी बैंक के मामले में, जिसने अपने पास रखी किसी भी शेष राशि के लिए अग्रिम प्रदान किया है, ऐसे अग्रिम के संबंध में बकाया राशि की सीमा तक ऐसी शेष राशि।

$ इस विवरणी के प्रयोजन के लिए, "बैंकिंग प्रणाली" अभिव्यक्ति में निम्नलिखित बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल होंगे, अर्थात,

(i) भारतीय स्टेट बैंक

(ii) तत्सथानी नए बैंक या

आईडीबीआई लिमिटेड

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(iv) बैंकिंग कंपनिया

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (डी) के तहत इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वित्तीय संस्थान, यदि कोई हो (सहकारी समितियों के लिए लागू)।

X. इस विवरणी के प्रयोजन के लिए, "भारत में दूसरों के प्रति देयताओं" में राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या राष्ट्रीय सहकारी विकास अधिनियम, 1962 की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार शामिल नहीं होंगे।

% (i) सहकारी बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक के पास रखी गई कोई भी शेष राशि, उस सीमा तक, जिस हद तक ऐसे सहकारी बैंक के कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि के निवेश का प्रतिनिधित्व करती है, भारत में रखी गई नकदी नहीं मानी जाएगी।

(ii) यदि सहकारी बैंक ने संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के साथ रखे गए किसी भी शेष के खिलाफ अग्रिम लिया है, तो ऐसा शेष जिस हद तक किया गया है के विरुद्ध आहरित या प्राप्त की गई ऐसी नकदी भारत में अनुरक्षित नहीं मानी जाएगी।

& (i) इस विवरणी के प्रयोजन के लिए, किसी सहकारी बैंक के पास कोई भी नकदी, उस सीमा तक, जहां तक ऐसी नकदी ऐसे सहकारी बैंक के कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष में शेष राशि का प्रतिनिधित्व करती है, भारत में रखी गई नकदी नहीं मानी जाएगी।

(ii) नकद में अन्य बैंकों के साथ शेष राशि या बैंक/मुद्रा नोटों के अलावा कोई अन्य वस्तु, रुपये का सिक्का (एक रुपये के नोटों सहित) और इस वापसी की तारीख पर वर्तमान सहायक सिक्के शामिल नहीं होने चाहिए।

++ अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को यहां केवल वही राशि दिखानी चाहिए जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पास बनाए रखने के लिए आवश्यक शेष राशि से अधिक है।

\+ केवल राज्य औद्योगिक सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला औद्योगिक सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू।

X केवल प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू

$$ (i) रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन की पद्धति के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

(ii) किसी सहकारी बैंक के कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष के धन के निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वीकृत प्रतिभूतियों या उसके एक हिस्से को बिना भार के अनुमोदित प्रतिभूतियां नहीं माना जाएगा।

££ वर्तमान बाजार मूल्य से कम मूल्य पर मूल्यांकित।

---------------------------------------

**अनुलग्नक – V**

**आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)**

**_____ माह के दौरान**

**बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) के तहत आरक्षित नकदी निधि रखरखाव की दैनिक स्थिति को दर्शाने वाला मासिक विवरण**

**(गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू)**

बैंक का नाम :

(निकटतम हजार तक पूर्णांकित रुपये)

| | दिनांक | आरक्षित नकदी निधि की राशि | | घाटा | अधिशेष | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुरक्षण हेतु आवश्यक | वास्तविक रुप से अनुरक्षित | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

सीईओ के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

**ध्यान दें:** जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के तहत सार्वजनिक अवकाश है,

ऐसे दिन के संबंध में आंकड़े पिछले कार्य दिवस से संबंधित होने चाहिए।

**अनुलग्नक – VI**

**आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)**

## एसएलआर प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का विवरण

( _____ शुक्रवार को समाप्त पखवाड़े के लिए)

[पैराग्राफ ... के अनुसार]

बैंक का नाम :

_____

(रु. लाख में दो दशमलव तक)

| विवरण | अंकित मूल्य | बही मूल्य | धारित मूल्यर्हास | एसएलआर हेतु निवल मूल्य (2-3) |
|---|---|---|---|---|
| **भाग I** | 1. | 2. | 3. | 4. |
| **सरकारी प्रतिभूतियां** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | | | |
| पखवाडे के दौरान परिवर्धन (+) | | | | |
| पखवाडे के दौरान घटाना (-) | | | | |
| अंतिम शेष (ए) | | | | |
| **भाग II** | | | | |
| **अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | | | |
| पखवाडे के दौरान परिवर्धन (+) | | | | |
| पखवाडे के दौरान घटाना (-) | | | | |
| अंतिम शेष (बी) | | | | |
| **जोड़ (ए+बी)** | | | | |

**अनुलग्नक – VII**
**(जैसा कि इस एमडी में उल्लिखित है)**

**आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)**

**(परिशिष्ट - II)**

## ---------- माह के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत (सहकारी सोसयटी पर यथा लागू) तरल संपत्ति के रखरखाव की दैनिक स्थिति को दर्शाने वाला मासिक विवरण

[सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) के लिए लागू]

[पैराग्राफ ---- के अनुसार ...]

बैंक का नाम :

(निकटतम हजार तक पूर्णांकित रुपये)

| | दिनांक | तरल आस्ति की राशि | | घाटा | अधिशेष | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुरक्षण हेतु आवश्यक | वास्तव में अनुरक्षित | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

सीईओ के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

ध्यान दें: जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के तहत सार्वजनिक अवकाश है, ऐसे दिन संबंधित आंकड़े पिछले कार्य दिवस से संबंधी होने चाहिए।

अनुबंध **– VIII**

**आरक्षित नकदी निधि अनुपात सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)**
**बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) की**
**क्रमशः धारा 18 और 24 के तहत व्यवस्थित की गईं**
**नकद आरक्षित और तरलता निधि की दैनिक स्थिति को दिखाते हुए प्रविष्ट करें**

**(*प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए*)**

**[*पैरा द्वारा* .....]**

(निकटतम हजार तक पूर्णांकित)

| | | | माह और वर्ष | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| भाग-क | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | बैंकिंग प्रणाली के लिए भारत में £$ देयताएं | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (क) | माँग देयताएं | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (i) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सहकारी बैंक में रखे गए चालू खातों में कुल जमा शेष और संबंधित नए बैंक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ii) बैंकिंग प्रणाली के लिए अन्य मांग देयताओं का योग | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ख) | बैंकिंग प्रणाली की सावधि देयताएं | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I का कुल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | भारत में देयताएं £, X दूसरों के लिए | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (क) | माँग देयताएं | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ख) | सावधि देयताएं | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II का कुल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | भारत में बैंकिंग प्रणाली के साथ आस्तियां | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | भारतीय स्टेट बैंक और तदनुरूप नए बैंकों में रखे गए चालू खातों में कुल जमा शेष%। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ख) | बैंकिंग प्रणाली के साथ कुल अन्य आस्ति, अर्थात, (i) मद III (क) में शामिल सभी खातों के अलावा अन्य सभी खातों में शेष, (ii) कॉल मनी और शॉर्ट नोटिस पर , (iii) अग्रिम, और (iv) कोई अन्य आस्ति। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. | अधिनियम की धारा 18 और 24 के प्रयोजनों के लिए कुल (निवल) मांग और सावधि देनदारियां = (I-III) + II, यदि (I-III) एक धनात्मक अंक है, या केवल II, यदि (I-III) है ऋणात्मक अंक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. | | भौतिक नकद | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. | | चालू खातों में शेष राशि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | भारतीय रिज़र्व बैंक ++ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (b) | संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक *+% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (c) | संबंधित जिले का जिला केंद्रीय सहकारी बैंक *% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VI का कुल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. | | अन्य सभी प्रकार के शेष के साथ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (क) | संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक *+% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ख) | संबंधित जिले का जिला केंद्रीय सहकारी बैंक *+% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VII का कुल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | | चालू खातों में निवल शेष, यानी I(क)(i) से अधिक III(क) से अधिक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भाग- ख | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| धारा 18 . का अनुपालन(अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर लागू नहीं) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. | | दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को IV का 3 प्रतिशत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X. | | वास्तविक व्यवस्थित आरक्षित नक़द = V + VI + VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भाग-ग | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर लागू नहीं) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI. | दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को IV का 25 प्रतिशत (या उच्चतर निर्दिष्ट प्रतिशत) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII. | वास्तविक व्यवस्थित आस्ति | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | भारत में रखे गए नकद और अन्य शेष X-IX + VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (b) | स्वर्ण ££ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (c) | भाररहित स्वीकृत प्रतिभूतियाँ $$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XII का कुल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भाग-घ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (अनुसूचित / राज्य सहकारी बैंकों के लिए लागू) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XIII | दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को IV का 25 प्रतिशत (या उच्चतर निर्दिष्ट प्रतिशत) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XIV | वास्तविक रूप में व्यवस्थित आस्ति | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (b) | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 [अर्थात, VI(a)] के तहत आवश्यक शेष राशि से अधिक बनाए रखा गया शेष | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (c) | चालू खातों में शुद्ध शेष (यानी, VIII) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (d) | स्वर्ण££ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (e) | भाररहित स्वीकृत प्रतिभूतियाँ $$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XIV का कुल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**अनुबंध-IX**

**प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा नकद आरक्षित निधि और चल आस्तियों की दैनिक स्थिति को दर्शाने वाले रजिस्टर के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आंकड़ों के संकलन के लिए स्पष्टीकरण**

1. **"भारत में देनदारियों" में शामिल नहीं होगा -**

   (i) सहकारी बैंक के लाभ और हानि खाते में चुकता पूंजी या आरक्षित निधि या कोई जमा शेष;

   (ii) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से लिया गया कोई अग्रिम;

   (iii) राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिया गया कोई भी अग्रिम।

   (iv) किसी सहकारी बैंक द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के एवज में लिए गए किसी अग्रिम या अन्य ऋण व्यवस्था की राशि;

   (v) किसी सहकारी बैंक के मामले में जिसने अपने पास रखी किसी भी शेष राशि के लिए अग्रिम प्रदान किया है, ऐसे अग्रिम के संबंध में बकाया राशि की सीमा तक ऐसी शेष राशि।

2. **व्याक्यांश 'बैंकिंग प्रणाली' में निम्नलिखित बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल होंगे, अर्थात**

   (i) भारतीय स्टेट बैंक;

   (ii) संबंधित नए बैंक या आईडीबीआई बैंक लि.

   (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक;

   (iv) बैंकिंग कंपनियां;

   (v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के तहत इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य वित्तीय संस्थान, यदि कोई हों।

3. सावधि देयताओं में सावधि जमा, नकद प्रमाण पत्र, संचयी और आवर्ती जमा, बचत बैंक जमाओं का सावधि देयता भाग, कर्मचारी सुरक्षा जमा, मांग पर देय नहीं होने पर ऋण पत्रों के विरुद्ध मार्जिन होल्ड और उपर्युक्त मद 1 के अधीन अग्रिमों के लिए सुरक्षा के रूप में धारित सावधि जमा शामिल हैं।

4. सावधि जमा में शामिल होंगे (i) कर्मचारी भविष्य निधि जमा, (ii) कर्मचारी सुरक्षा जमा, (iii) आवर्ती जमा, (iv) नकद प्रमाण पत्र, (v) कॉल जमा जिसमें 14 दिनों से अधिक की नोटिस अवधि की

आवश्यकता होती है, (vi) भविष्य निधि जमा, (vii) अन्य विविध जमा जैसे कॉन्ट्रैक्टर की बयाना राशि आदि।

5. मांग देयताओं में चालू जमा, बचत बैंक जमाओं का मांग देयता भाग, ऋण पत्रों/गारंटियों के प्रति धारित मार्जिन, अतिदेय सावधि जमाओं में शेष, नकद प्रमाणपत्र और संचयी,/आवर्ती जमा, बकाया टेलीग्राफिक और मेल हस्तांतरण, डिमांड ड्राफ्ट, दावा न की गई जमाराशियां, नकद ऋण खातों में जमा शेष और मांग पर देय अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में जमाराशि आदि शामिल हैं।

6. चालू जमा में शामिल होंगे (i) कॉल डिपॉज़िट जिसमें 14 दिनों या उससे कम की नोटिस अवधि की आवश्यकता होती है (ii) कैश क्रेडिट खाते में क्रेडिट बैलेंस, (iii) सावधि जमा जो परिपक्व है लेकिन आहरित नहीं की गई है, आदि।

7. सहकारी बैंक के के संबंध में "चालू खातों में निवल शेष" का तात्पर्य होगा उस सहकारी संस्था द्वारा अनुरक्षित चालू खाते में जमा शेष की कुल राशि से अधिक, यदि कोई हो जो भारतीय स्टेट बैंक या संबंधित नए बैंक या आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ बैंक, ऐसे सहकारी बैंक के साथ उक्त बैंकों द्वारा धारित चालू खातों में जमा शेष राशि पर लागू होगा।

8. देयताओं की गणना के प्रयोजन के लिए, सहकारी बैंक की देयताओं का कुल योग जिसे भारतीय स्टेट बैंक, संबंधित नए बैंक या आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक बैंकिंग कंपनी या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वित्तीय संस्थान को ऐसे बैंकों और संस्थानों या सहकारी बैंक;की सभी की देयताओं के योग से कम कर दिया जाएगा।

9. अन्य मांग और सावधि देयताओं में जमा पर अर्जित ब्याज, देय बिल, अवैतनिक लाभांश और अन्य बैंकों या जनता के कारण राशियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उचंत खाता शेष शामिल हैं।

10. 'बैंकिंग प्रणाली' (जैसे जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आदि से) के बाहर से प्राप्त मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस को मद सं II के सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

11. यदि कोई बैंक कुल से 'अन्य मांग देयतायों' और 'सावधि देयताओं' को अलग नहीं कर सकता है, तो 'बैंकिंग प्रणाली' की देयताओं, संपूर्ण 'अन्य मांग देयताओं' और 'सावधि देयताओं' को मद जैसे- जैसे भारत में अन्य की देयताएं-

    (i) मांग देयताएं और

    (ii) समय देयताएं जैसा भी मामला हो।

12. इस मद में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए लागू) की धारा 18 (ठ) के स्पष्टीकरण के खंड (क) (ii) और (iii) के तहत बाहर रखे गए के अलावा केवल मांग और समय उधार के समक्ष दिखाया जाना चाहिए।

13. 'अन्य मांग देयताएं' और 'अन्य सावधि देयताएं' जैसा भी मामला हो, में दस साल से अधिक के लिए दावा न किए गए जमा, बाहरी देयतायों की प्रकृति में प्रावधान (जैसे आयकर और देय अन्य करों के प्रावधान, देय लेखा परीक्षा शुल्क, स्थापना शुल्क देय आदि), देय ब्याज, देय

बोनस, देय बिल, देय लाभांश, शेयर सस्पेंस, अन्य सस्पेंस और विविध मद (जो देयताओं से बाहर हैं) आदि शामिल होंगे।

14. यदि सहकारी बैंक ने संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के साथ बनाए गए किसी भी शेष के खिलाफ अग्रिम लिया है, इस तरह के शेष को उस सीमा तक, इसे आहरित किया गया है या इसका लाभ उठाया गया है भारत में नकद आरक्षित नहीं माना जाएगा।

15. इस प्रयोजन के लिए राशि की गणना करने में निम्नलिखित को भारत में नकदी के रूप में व्यवस्थित माना जाएगा, अर्थात्;

(i) भारत में किसी सहकारी बैंक द्वारा, स्वयं के पास या संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास, या रिज़र्व बैंक के चालू खाते में या चालू खातों में निवल शेष के रूप में बनाए रखा गया कोई भी नकद या शेष, और, प्राथमिक सहकारी बैंक के मामले में, संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पास रखी गई कोई भी शेष राशि, जोकि धारा 18 के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक नकदी या शेष राशि के कुल से अधिक हो;

(ii) चालू खाते में कोई भी शुद्ध शेष।

16. भारत में 'बैंकिंग प्रणाली' आस्ति में शामिल हैं;

(i) चालू खातों में 'बैंकिंग प्रणाली' के साथ शेष (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ और (ख) अन्य सभी बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के साथ;

(ii) अन्य सभी खातों में बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के साथ शेष राशि,

(iii) एक पखवाड़े या उससे कम की कॉल या अल्प सूचना पर चुकाने योग्य ऋण या जमा के रूप में 'बैंकिंग प्रणाली' को उपलब्ध कराई गई निधि;

(iv) 'बैंकिंग प्रणाली' को उपलब्ध कराए गए 'मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस' के अलावा अन्य ऋण; तथा

(v) 'बैंकिंग प्रणाली' से देय कोई अन्य राशि जिसे उपरोक्त मदों में से किसी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, उदाहरण के लिए अंतर-बैंक प्रेषण सुविधा योजना के मामले में, आज की तारीख में, किसी बैंक द्वारा अन्य बैंकों के पास धारित कुल राशि (ट्रांजिट या अन्य खाता) यहां दिखाया जाएगा क्योंकि ऐसी राशियों का निर्माण 'शेष' या 'कॉल मनी' या 'अग्रिम' के रूप में नहीं किया जा सकता है।

(vi) इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि किसी बैंक ने उधार की व्यवस्था के लिए किसी अन्य बैंक के पास प्रतिभूतियां जमा की हैं, तो ऐसी प्रतिभूतियों या उनकी भाररहित स्थिति को उधार लेने वाले बैंक द्वारा 'बैंकिंग प्रणाली' के साथ 'आस्ति' के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए। . इसी तरह, जिस बैंक ने प्रतिभूतियां प्राप्त की हैं, उन्हें 'बैंकिंग प्रणाली' को 'अन्य देयताओं' के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए।

(vii) मुद्रा और रुपे नोट और सिक्कों को जब तक मुद्रा के रूप में रखा जाता है, भारत में नकदी के रूप में दिखाया जाना चाहिए (यानी हाथ में नकद)। हालांकि, किसी बैंक के पास रखे गए विदेशी देशों की मुद्राओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

17. नकद में अन्य बैंकों के साथ शेष राशि या बैंक/मुद्रा नोटों के अलावा कोई अन्य वस्तु, रुपये का सिक्का (एक रुपये के नोटों सहित) और सहायक सिक्के रजिस्टर की पोस्टिंग की तारीख पर शामिल नहीं होना चाहिए।

18. भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन की पद्धति के आधार पर किया जाएगा (वर्तमान में इसका मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक नहीं मूल्य पर किया जा रहा है)।

19. सहकारी बैंक की "भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ" किसी अन्य संस्था के पास अग्रिम या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए रखी गई अपनी अनुमोदित प्रतिभूतियों को उस सीमा तक शामिल करेगा जिस सीमा तक ऐसी प्रतिभूतियों का आहरण या लाभ नहीं उठाया गया है।

20. सोने का मूल्य उस कीमत पर होना चाहिए जो मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक न हो।

**अनुबंध-X**

**सीआरआर और एसएलआर के लिए मांग और मीयादी देयताओं की गणना**

**प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए निर्धारित प्रपत्र-ख और प्रपत्र-I में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषा**

**1. 'बैंकिंग प्रणाली' में शामिल हैं:**

**(i)** भारतीय स्टेट बैंक

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(iv) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित बैंकिंग कंपनियां। इनमें शामिल हैं:

- निजी क्षेत्र के बैंक
- विदेशी बैंक

नोट: विदेशी बैंक जिनकी भारत में कोई शाखा नहीं है, 'बैंकिंग प्रणाली' का हिस्सा नहीं हैं।

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (cci) में परिभाषित सहकारी बैंक (सीआरआर के लिए डीटीएल की गणना के लिए अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर लागू)

नोट: सहकारी भूमि बंधक/विकास बैंक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं

(vi) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा 'अधिसूचित' कोई अन्य वित्तीय संस्थान ।

**2. "बैंकिंग प्रणाली' में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं -**

(i) एक्जिम बैंक

(ii) एक्जिम बैंक

(iii) नाबार्ड

(iv) सिडबी

(v) आईएफसीआई

(vi) आईआईबीआई

**3. निवल देयताएं**

सीआरआर और एसएलआर के प्रयोजन के लिए देयताओं की गणना करते समय, 'बैंकिंग प्रणाली' में भारत में बैंक की अन्य बैंकों के प्रति निवल देयताओं की गणना बैंकिंग प्रणाली' की कुल देयताओं में से 'बैंकिंग प्रणाली' में अन्य बैंकों के साथ भारत में आस्तियों को घटाते हुए की जाएगी।

**4. 'बैंकिंग प्रणाली' की देयताओं में शामिल हैं -**

(i) बैंकों की जमा राशि

(ii) बैंकों से उधार (कॉल मनी / नोटिस जमाएं)

(iii) बैंकों की देयताओं की अन्य विविध मदें जैसे बैंकों को जारी भागीदारी प्रमाण पत्र, बैंक जमा पर अर्जित ब्याज आदि।

**5. 'बैंकिंग प्रणाली' के लिए देयताओं का वर्गीकरण**

(i) 'बैंकिंग प्रणाली' के लिए बैंक की देयताओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात 'मांग देयताएं' और 'मीयादी देयताएं'।

(ii) 'बैंकिंग प्रणाली' के लिए 'मांग देयताओं' को आगे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(क) निम्नलिखित के चालू खातों में शेष-

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- राष्ट्रीयकृत बैंक

(ख) अन्य मांग देयताएं जिनमें शामिल हैं:

1. निम्नलिखित के चालू खातों में शेष

- आरआरबी
- बैंकिंग कंपनियां यानी निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक
- सहकारी बैंक (सीआरआर के लिए डीटीएल की गणना के लिए अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर लागू)
- अन्य 'अधिसूचित' वित्तीय संस्थान।

1. उपरोक्त नामित बैंकों की अतिदेय सावधि जमा की शेष राशि।

2.बैंकों को जारी किए गए मांग पर देय भागीदारी प्रमाण पत्र।

3.बैंकों (आरआरबी) की जमाराशियों पर अर्जित ब्याज।*

4. बैंकों से कॉल मनी उधार मांगें

5.'बैंकिंग प्रणाली' की परिभाषा के अंतर्गत

(i). 'बैंकिंग प्रणाली' के लिए सावधि देयताओं में शामिल हैं-

(क). बैंकों से सभी प्रकार की सावधि जमा

(ख).बैंकों से जमा प्रमाणपत्र

(ग) बैंकों को जारी किए गए भागीदारी प्रमाणपत्र जो मांग पर देय नहीं हैं

(घ).बैंकों की सावधि जमा/सीडी पर अर्जित ब्याज *

'बैंकिंग प्रणाली' की परिभाषा के अंतर्गत

* यदि जमा राशि पर अर्जित ब्याज से इस राशि को वर्गीकृत/अलग करना संभव नहीं है, तो अर्जित कुल ब्याज 'अन्य मांग और सावधि देयताएं' के तहत दिखाया जा सकता है।

## 6. 'बैंकिंग प्रणाली' के साथ आस्तियां

(i) चालू खातों में 'बैंकिंग प्रणाली' के साथ शेष राशि

(ii) अन्य खातों में बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के साथ शेष राशि।

(iii) बैंकिंग प्रणाली के भीतर बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों को 14 दिनों तक के लिए मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस

(iv) 'बैंकिंग प्रणाली' को उपलब्ध कराए गए मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस के अलावा अन्य ऋण।

(iv) 'बैंकिंग प्रणाली' से देय कोई अन्य राशि, जैसे बैंक द्वारा अन्य बैंकों के पास (ट्रांजिट या अन्य खातों में) अंतर-बैंक प्रेषण सुविधा के तहत रखी गई राशि, आदि।

## 7. वित्तीय संस्थाओं को उधार देने और उनसे उधार लेने का वर्गीकरण

**(i)** मुद्रा बाजार में बैंक द्वारा निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण को 'बैंकिंग प्रणाली' के साथ आस्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, इन उधारों को 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति देयताओं के विरुद्ध नहीं घटाया जा सकता।

- एक्जिम बैंक
- नाबार्ड
- सिडबी
- आईएफसीआई
- आईआईबीआई

(ii) इन वित्तीय संस्थानों से पुनर्वित्त के अलावा बैंक का उधार दूसरों के लिए देयताओं का हिस्सा होना चाहिए और इसलिए, आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए निवल मांग और सावधि देयताओं का हिस्सा बनना चाहिए।

## 8. देयताओं के अंतर्गत कुछ मदों का वर्गीकरण

### (i) अंतर-शाखा खाते

(क) अंतर-शाखा खाते में निवल शेष, जब क्रेडिट में है, 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' के तहत दिखाया जाना है, जो सीआरआर और एसएलआर उद्देश्य के लिए कुल मांग और सावधि देयताओं में शामिल है।

(ख) 27.07.98 के बाद, बैंक को अंतर-शाखा खाते में पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को 'अवरुद्ध खाता' के रूप में अलग करना चाहिए और इसे 'अन्य' के तहत 'अन्य देयतायों और प्रावधानों' के तहत दिखाना चाहिए। इसके बाद, 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' के तहत शामिल करने के लिए अंतर-शाखा लेनदेन की निवल राशि की गणना करते समय, यदि क्रेडिट में है, या 'अन्य आस्तियां डेबिट में हैं, तो 'अवरुद्ध खाते' की कुल राशि को बाहर रखा जाना चाहिए और केवल प्रतिनिधित्व करने वाली राशि शेष क्रेडिट प्रविष्टियों को डेबिट प्रविष्टियों के विरुद्ध निवल किया जाना चाहिए। इस प्रकार, 'अवरुद्ध खाते' में शेष राशि की गणना सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव के उद्देश्य से की जाएगी, भले ही अंतर-शाखा प्रविष्टियों का निवल डेबिट शेष हो।

### (ii) भुनाए गए/खरीदे गए बिलों पर मार्जिन मनी

बैंक को खरीदे गए/छूट वाले बिलों पर मार्जिन मनी को बाहरी देयताओं के रूप में मानने में एक समान प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और आरक्षित आवश्यकताओं के रखरखाव के उद्देश्य से इसे अन्य मांग और सावधि देयताओं में शामिल करना चाहिए।

### (iii) जमाराशियों पर अर्जित ब्याज

(क) सभी जमा खातों (जैसे, बचत, सावधि, आवर्ती, नकद प्रमाण पत्र, पुनर्निवेश योजना, आदि) पर अर्जित ब्याज, चाहे वह किसी भी नाम से हो, को सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने के उद्देश्य से बैंक द्वारा अपनी देयता के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही वह उपार्जित ब्याज वास्तव में देय हो गया है या जमा की चुकौती के लिए नियत तारीख तक देय नहीं है।

(ख) जमाराशियों पर अर्जित ब्याज को 'अन्य मांग और सावधि देयताओं' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।